पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 23, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–24

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	365–374	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	337–396	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

29 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 15/X-1-2014-14(09)/2014–श्री एस0के0 सिंह, भा0व0से0, मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण विकास एवं अनुसंधान, हल्द्वानी, जिनकी जन्म तिथि 15–05–1955 है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31–05–2015 के अपरान्ह में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2

शुद्धि–पत्र

05 मई, 2015 ई0

संख्या 218/15-XIX-2/39 खाद्य/2013–शासनादेश सं0 88/15-XIX-2/39 खाद्य/2013, दिनांक 24–04–2015 जिसके द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा में सृजित निरीक्षक संवर्ग से उच्च पदों के वेतनमानों को उच्चीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के प्रस्तर 1 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक–7 के स्तम्भ–5 में उल्लिखित "संशोधित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड" टंकण त्रुटिवश वेतनमान " ₹ 15600–39100" (वेतन बैण्ड–3) अंकित हो गया था, जबकि उक्त वेतनमान ₹ "37400–67000" (वेतन बैण्ड–4) होना चाहिए था।

2. अतः शासनादेश दिनांक 24–04–2015 के प्रस्तर–1 की तालिका के स्तम्भ–5 में अंकित "वेतनमान ₹ 15600–39100 (वेतन बैण्ड–3)" के स्थान पर "वेतनमान ₹ 37400–67000 (वेतन बैण्ड–4)" पढ़ा जाए।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 24–04–2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत रहेगा।

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

07 मई, 2015 ई0

संख्या 480/XX(1)-2015-3(11)2004–उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली–2009 में वर्णित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में चयन वर्ष 2014–15 के लिए अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी–1 से अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक की अनुशंसा/संस्तुति के क्रम में श्री यशवन्त सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी–1 (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 7600) को अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) (वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड पे ₹ 8700) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त पदोन्नति भारत सरकार द्वारा कार्मिकों के अन्तिम आवंटन के अधीन रहेगी।

3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा उपरोक्त अधिकारी की तैनाती का प्रस्ताव पृथक से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

पदोन्नति/विज्ञप्ति

19 मई, 2015 ई0

संख्या 560/XX(1)-2015-2(22)2008–अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) के पद पर दिनांक 03 जुलाई, 2004 को सम्पन्न हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के निर्गत कार्यवृत्त में यह उल्लेख है कि अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) के 04 पद उपलब्ध हैं, जिसमें एक पद अनुसूचित जाति के अधिकारी हेतु आरक्षित है तथा 03 सामान्य जाति के पदों में से एक पद पर श्री आर0एस0 न्याल वर्तमान में कार्यरत हैं, जिसके कारण शेष 02 सामान्य पदों पर प्रान्तीय पुलिस सेवा के श्री गणेश सिंह मर्तोलिया, श्री पुष्कर सिंह सैलाल, श्री सतीश कुमार शुक्ल तथा श्री मोहन सिंह बंग्याल पदोन्नति की पात्रता श्रेणी में आते हैं। चूंकि अनुसूचित जाति का कोई भी अधिकारी पदोन्नति हेतु शर्तों को पूर्ण नहीं करता। अतः अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 01 पद रिक्त रखा जाता है एवं विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचारोपरान्त श्री गणेश सिंह मर्तोलिया एवं श्री पुष्कर सिंह सैलाल, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रेड–1 को अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) के पद पर प्रोन्नत किये जाने की संस्तुति की गयी, जिसके क्रम में इन 02 अधिकारियों के प्रोन्नति आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2004 को निर्गत किये गये।

2. उक्त से स्पष्ट है कि अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 03 जुलाई, 2004 को अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) के सृजित 04 पदों के सापेक्ष 01 पद पर श्री रविन्द्र सिंह नयाल कार्यरत थे एवं इनकी आयु तत्समय 54 वर्ष से अधिक होने के कारण इनका आई0पी0एस0 में इण्डक्शन नहीं हो सका था। उक्त अधिकारी, श्री रविन्द्र सिंह नयाल द्वारा भारतीय सेना में उनके द्वारा की गयी सेवा को उनके वर्तमान सेवा में जोड़े जाने हेतु मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 231(S/B)/2006, रविन्द्र सिंह नयाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य योजित की गयी, जिसके क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 04–11–2006 को आदेश पारित किया गया। इस आदेश के क्रम में श्री रविन्द्र सिंह नयाल, जो कि प्रान्तीय पुलिस सेवा में दिनांक 15–01–1983 को मौलिक रूप से नियुक्त थे, की प्रान्तीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की तिथि 15–10–1972 निर्धारित की गयी एवं प्रान्तीय पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में इण्डक्ट हो चुके 25 अधिकारियों की प्रान्तीय पुलिस सेवा में पारस्परिक ज्येष्ठता गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02 जनवरी, 2012 द्वारा निर्धारित की गयी। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री रविन्द्र सिंह नयाल द्वारा एक अन्य रिट याचिका संख्या 110(S/B)/2009, रविन्द्र सिंह नयाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य भी मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 20–02–2013 को आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में श्री रविन्द्र सिंह नयाल को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री अजय कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (से0नि0) के समतुल्य प्रान्तीय पुलिस सेवा में पदवार पदोन्नति की तिथियों से वास्तविक आर्थिक/सेवा/पेंशन सम्बन्धी लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 जुलाई, 2013 द्वारा दी गयी है। उक्तानुसार श्री रविन्द्र सिंह नयाल को प्रान्तीय पुलिस सेवा के अन्तर्गत इनसे आसन्न कनिष्ठ श्री अजय कुमार की भांति लाभ प्रदान किये गये, किन्तु श्री अजय कुमार की भांति उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में भी पदवार पदोन्नति की तिथियों से Actual Monetary Service/Pensionary benefits प्रदान किया जाना भी अपेक्षित होने के कारण श्री रविन्द्र सिंह नयाल को भी अजय कुमार (से0नि0), अपर पुलिस महानिदेशक के आई0पी0एस0 में इण्डक्शन की तिथि 01 जनवरी, 1989 से आई0पी0एस0 में इण्डक्ट करते हुए श्री अजय कुमार के भारतीय पुलिस सेवा में पदवार पदोन्नति की तिथियों से लाभ प्रदान किये जाने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से शासकीय पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2013 के द्वारा अनुरोध किया गया एवं इसी क्रम में श्री रविन्द्र सिंह नयाल को आई0पी0एस0 संवर्ग में इण्डक्शन/चयन हेतु रिव्यू सलेक्शन कमेटी मीटिंग (RSCM) की बैठक आहूत किये जाने हेतु भी अनुरोध संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली से किया गया, किन्तु

आतिथि तक श्री रविन्द्र सिंह नयाल को दिनांक 01 जनवरी, 1989 से आई0पी0एस0 में इण्डक्शन/चयन किये जाने के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार से यद्यपि कोई सूचना प्राप्त नहीं है तथापि संघ लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 7/27(1)/2014–AIS दिनांक 01 मई, 2015 के द्वारा श्री रविन्द्र सिंह नयाल के आई0पी0एस0 में इण्डक्शन के सम्बन्ध में समुचित विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3. उक्तानुसार श्री रविन्द्र सिंह नयाल को दिनांक 01 जनवरी, 1989 से आई0पी0एस0 में इण्डक्ट/चयन किये जाने की कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) के पदों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 03 जुलाई, 2004 को सम्पन्न हुई विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित श्री सतीश कुमार शुक्ल द्वारा यह संज्ञान लिया गया कि जब श्री रविन्द्र सिंह नयाल दिनांक 01 जनवरी, 1989 को आई0पी0एस0 में इण्डक्ट/चयनित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दिनांक 03 जुलाई, 2004 को सम्पन्न हुई विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये सामान्य जाति के 03 रिक्त पद बनते हैं, जिनके सापेक्ष 02 पदों पर पदोन्नति वर्ष 2004 में ही श्री गणेश सिंह मर्तोलिया एवं श्री पुष्कर सिंह सैलाल की हो चुकी है एवं 01 पद जिस पर श्री रविन्द्र सिंह नयाल को तैनात दिखाया गया था, वह उक्त प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि को रिक्त था। अतः पात्रता सूची में सम्मिलित होने एवं ज्येष्ठता में श्री मोहन सिंह बंगयाल से ज्येष्ठ होने के कारण उक्त रिक्त 01 पद पर श्री शुक्ल द्वारा वर्ष 2004 में की गयी पदोन्नति तिथि, 17 जुलाई, 2004 से अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) के पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु श्री सतीश कुमार शुक्ल द्वारा पुलिस मुख्यालय एवं शासन को विभिन्न प्रतिवेदन दिये गये।

श्री शुक्ल द्वारा उक्तानुसार दिये गये प्रतिवेदन के क्रम में सम्यक् परीक्षणोपरान्त/विचारोपरान्त/परामर्शोपरान्त प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन के स्तर पर दिनांक 06–02–2015 को एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सचिव, गृह/अपर सचिव, गृह/प्रमुख सचिव, गृह द्वारा समवेत रूप से इस प्रकरण में यह निर्धारित किया गया कि श्री रविन्द्र सिंह नयाल के दिनांक 01–01–1989 से आई0पी0एस0 में इण्डक्ट होने की स्थिति में दिनांक 17 जुलाई, 2004 को अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक की तिथि को अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) का 01 पद स्पष्ट रूप से निश्चित रूप से रिक्त हो जाता है, किन्तु यदि संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री रविन्द्र सिंह नयाल के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 01–01–1989 से आई0पी0एस0 में इण्डक्ट नहीं भी करती है, तो भी रिट याचिका संख्या 231/2006 मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–11–2006 जिसे मा0 उच्चतम न्यायलाय द्वारा यथावत रखा गया है एवं तत्क्रम में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 110/2009(S/B) में पारित आदेश दिनांक 20–02–2013 के क्रम में श्री रविन्द्र सिंह नयाल को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री अजय कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (से0नि0) के समतुल्य प्रान्तीय पुलिस सेवा में पदवार पदोन्नति की तिथियों से वास्तविक/आर्थिक/सेवा/पेंशन सम्बन्धी लाभ प्रदान किये जाने की गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की स्वीकृति (कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 जुलाई, 2013) के कारण दिनांक 17 जुलाई, 2004 को अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) का एक पद की रिक्ति बनती है, जिसके सापेक्ष श्री सतीश कुमार शुक्ल को दिनांक 17 जुलाई, 2004 से सभी वास्तविक/आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा सकती है। प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन के स्तर पर उक्तानुसार लिये गये निर्णय को ही दिनांक 31–03–2015 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में सहमति प्रदान की गयी एवं तद्नुसार ही आदेश निर्गत किये जाने के विषय पर उच्चानुमोदन प्राप्त हुए हैं।

4. अतः उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय/प्राप्त उच्चानुमोदन के क्रम में श्री सतीश कुमार शुक्ल, हाल सहायक पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड को दिनांक 17 जुलाई, 2004 से अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष श्रेणी) के पद (उक्त तिथि से ही सभी वास्तविक/आर्थिक लाभ सहित) पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

पर्यटन अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

28 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 192/VI/2014-01(02)/2015—श्री ए0के0 द्विवेदी, अपर निदेशक, पर्यटन निदेशालय, जो दिनांक 31 जनवरी, 2015 को अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होंगे, को उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अन्तर्गत अपर निदेशक, पर्यटन के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति अथवा उक्त अवधि से पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के यह व्यवस्था समाप्त न कर दी जाय, जो भी पहले हो तक के लिये पुनर्नियुक्ति के आधार पर नियोजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री द्विवेदी को पुनर्नियुक्ति पर वेतन, वेतन–पेंशन सिद्धान्त अर्थात अन्तिम आहरित वेतन ऋण पेंशन (राशिकरण से पूर्व) के आधार पर देय होगा।

3. भविष्य में इस व्यवस्था को दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 59/F/7/XXXVII(7)/2015, दिनांक 27 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

संख्या 1922/XXIV-3/14/02(34)2014

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 31 जनवरी, 2015

विषयः– राज्य के मेधावी छात्र/छात्राओं को लैपटॉप वितरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/अका0अनु0/1058–59/लैपटॉप/2014–15 दिनांक 10 अप्रैल, 2014 एवं पत्रांक/अका0अनु0/3305/लैपटॉप/2014–15, दिनांक 13 मई, 2014 व पत्रांक/अका0अनु0/11218/लैपटॉप/2014–15, दिनांक 21 जुलाई, 2014 तथा पत्रांक/अका0अनु0/15562/लैपटॉप/2014–15, दिनांक 13 अगस्त, 2014 व पत्रांक/अका0अनु0/18798–99/लैपटॉप/2014–15, दिनांक 11 सितम्बर, 2014 के सन्दर्भ में अवगत कराया जाना है कि राज्य के ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कम्प्यूटर/लैपटॉप क्रय करने की स्थिति में नहीं हैं तथा इसके कारण वे अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा पिछड़ जाते

हैं, जिससे उनकी प्रतिभा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है, के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर से शैक्षिक सत्र 2014–15 में इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) में बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को इसी शैक्षिणिक सत्र से निम्नांकित शर्तों के अनुसार निःशुल्क लैपटॉप वितरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) योजना में प्रथम चरण के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर बोर्ड से इण्टरमीडिएट कक्षा–12 में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को लैपटॉप दिया जायेगा। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 के ऐसे पात्र छात्र–छात्राओं के परीक्षा परिणाम की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) जिन छात्र/छात्राओं को पहले किसी भी योजना के तहत लैपटॉप दिये जा चुके हों, ध्यान रहे कि उन छात्र/छात्राओं को पुनः लैपटॉप कदापि न वितरित किये जायं।

(iii) छात्र–छात्राओं को उपलब्ध कराये जाने वाले लैपटॉप एक ही मेक के होंगे।

(iv) छात्र–छात्राओं को दिये जाने वाले लैपटॉप का क्रय माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत परियोजना ई–शासन मिशन टीम (PeMT) के गठन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1146/XXIV-3/14/02 (73) 8 2007, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के अनुसार किया जायेगा।

(v) लैपटॉप क्रय करने हेतु तकनीकी समिति Technical Committee (IT) से आवश्यक परामर्श लिया जाना होगा।

(vi) तकनीकी समिति द्वारा Configuration निर्धारित किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार अधिप्राप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(vii) मण्डल स्तर पर समारोह आयोजन हेतु निम्नवत् समिति गठित की जायेगी:–

(अ)	अपर निदेशक (माध्यमिक) सम्बन्धित मण्डल	अध्यक्ष
(ब)	आयोजक जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी	सचिव
(स)	समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित मण्डल	सदस्य
(द)	वरिष्ठतम प्रधानाचार्य, सम्बन्धित मण्डल	सदस्य
(य)	वरिष्ठतम प्रधानाचार्या, सम्बन्धित मण्डल	सदस्य

3. योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति/व्यय/यथा प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों/वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत नियमों/मितव्ययता सम्बन्धी संगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4. इस सम्बन्ध में वहन की जाने वाली धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 800–अन्य व्यय, 00–आयोजनागत, 20–उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन, 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 313(P)/XXVII(3)/2014-15, दिनांक 23 जनवरी, 2015 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संख्या 64/XXIV-3/15/02(115-II)2011

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 04 फरवरी, 2015

विषयः– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को भारत सरकार द्वारा वेतन की अनुमोदित धनराशि के अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 15 मई, 2014 व पत्र संख्या 31-1/2014-RMSA.III, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के क्रम में तथा राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड के पत्रांक रा0मा0शि0अ0/787/63(A)/2014-15 दिनांक 04 जून, 2014, पत्रांक रा0मा0शि0अ0/1546–62/कार्यकारिणी/2014–15, दिनांक 20 अगस्त, 2014, पत्रांक रा0मा0शि0अ0/2562/63(A)/2014-15, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 एवं वित्त नियन्त्रक, राष्टीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड के पत्रांक रा0मा0शि0अ0/3287/63(A)/2014-15, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में अवगत कराया जाना है कि राज्य में केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना वर्ष 2009–10 से केन्द्रांश एवं राज्यांश 75% : 25% के अनुपात में संचालित हैं। उक्त योजनान्तर्गत उच्चीकृत/संचालित विद्यालयों में सृजित पदों पर कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों (एल0टी0) के वेतन की धनराशि की प्रतिपूर्ति इस योजना से ही की जाती है।

2. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (PAB) सम्बन्धी बैठक द्वारा उक्त योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों में सृजित पदों पर कार्यरत प्रधानाध्यापक का वेतन ₹ 44160/– एवं सहायक अध्यापक का वेतन ₹ 29640/– प्रतिमाह अनुमोदित किया गया, किन्तु भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा पुनः उक्तवत वेतन की धनराशि क्रमशः ₹ 44160/– एवं ₹ 36120/– प्रतिमाह अनुमोदित की गई है जिसमें प्रधानाध्यापक के लिए केन्द्रांश 75% के आधार पर ₹ 33120/– एवं सहायक अध्यापक के लिए ₹ 27090/– प्रतिमाह की धनराशि अनुमन्य है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा देय राज्यांश 25% की धनराशि क्रमशः ₹ 11040/– तथा ₹ 9030/– निर्धारित होती है। किन्तु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक वास्तविक रूप से उक्त धनराशि से अधिक धनराशि अद्यतन प्राप्त कर रहे हैं।

3. उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत/संचालित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों/सहायक अध्यापकों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर निर्धारित केन्द्रांश एवं राज्यांश की प्रदान की जाने वाली धनराशि में राज्य सरकार द्वारा देय राज्यांश की 25% की निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त धनराशि का व्यय वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय यथास्थिति अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 800–अन्य व्यय, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं, 0109–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (75% के0स0) के अन्तर्गत मानक, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मानक मद के अन्तर्गत संगत वित्तीय वर्ष के विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि से ही की जायेगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 326 (P)/XXVII(3)/2014-15, दिनांक 04 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

डॉ0 एम0 सी0 जोशी,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

अधिसूचना

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति

02 मई, 2015 ई0

संख्या 204/II-2015-01(109)/2014–श्री सुधाकर पुरोहित, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग को उनके द्वारा पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दी गयी नोटिस दिनांक 05–11–2014, दिनांक 02–02–2015, जो मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग के पत्र संख्या 3094/मु0अ0वि0/विभा0 अनु0/ई–5/सा0 दिनांक 06–12–2014, पत्र संख्या शा0–527/मु0अ0वि0/विभा0 अनु0/ई–5/सा0, दिनांक 30–01–2015, एवं पत्रांक 218/मु0अ0वि0/विभा0 अनु0/ई–5/सा0, दिनांक 12–02–2015, द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग दो से चार के मूल नियम 56 के खण्ड (ग) एवं शासनादेश संख्या 1844/कार्मिक–2/2002, दिनांक 09–04–2003 के अन्तर्गत श्री पुरोहित को दिनांक 30–04–2015 की अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री सुधाकर पुरोहित के विरूद्ध कोई शासकीय धनराशि आदि बकाया होने की दशा में, उसकी वसूली उनके सेवानिवृत्ति देयकों में से नियमानुसार सुनिश्चित कर ली जाये।

आज्ञा से,
आनन्द वर्द्धन,
सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

06 मई, 2015 ई0

संख्या 649/XX-3-2015-05(17)2013–श्री राज्यपाल महोदय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (सी0बी0आई0), 1988 (संख्या–46 वर्ष 1988) की धारा 3(1) एवं 4(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस सम्बन्ध में श्री अमित कुमार सिरोही से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या–1262/XX-3-2014-04(55)2003, दिनांक 06–06–2014 को विखण्डित करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की संस्तुति पर उक्त अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों में विचारण हेतु श्री अनुज कुमार संगल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार (सी0बी0आई0), उत्तराखण्ड के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
विनोद शर्मा,
सचिव।

पेयजल एवं स्वच्छता, अनुभाग–1

नियुक्ति

विज्ञप्ति

29 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 114/उन्तीस(1)/2015–(36 अधि0)/2005–सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा, 2012 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन संस्तुतियों लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–877/95/E-1/A.E./2011-12, दिनांक 30–01–2014 तद्क्रम में कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–44/XXX(2)/2014, दिनांक 04–02–2014 के माध्यम से पेयजल विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें निम्न अभ्यर्थी को औपबन्धिक दर्शाया गया था। तदोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या–925/95/E-1/A.E./2011-12, दिनांक 19–03–2014 तत्क्रम में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–158/XXX(2)/2014, दिनांक 11–04–2014 द्वारा लोक सेवा आयोग से प्राप्त निम्न अभ्यर्थी का औपबन्धन समाप्त करते हुए नियुक्ति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर उसके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर उत्तराखण्ड जल संस्थान में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	नाम	ट्रेड	जनपद/निवासी	प्रस्तावित तैनाती
1.	श्री आकाश वर्मा	सिविल	लखनऊ	देवप्रयाग

2. नवनियुक्त सहायक अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है तथा अभ्यर्थी के चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में वे किसी भी न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।

4. सम्बन्धित अभ्यर्थी 15 दिन के भीतर मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नेहरू कॉलोनी देहरादून के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय द्वारा इन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा तत्पश्चात् मुख्य महाप्रबन्धक उन्हें तैनाती के स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे।

5. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण–पत्र/घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–

(क) चल/अचल सम्पत्ति का विवरण तथा घोषणा–पत्र।

(ख) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र।

(ग) शैक्षिक योग्यता, आयु डिप्लोमा/डिग्री आदि प्रमाण–पत्र की दो स्वप्रमाणित प्रतियां।

(घ) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

(ड) लिखित रूप से एक अण्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं प्रागवृत्त आदि के सत्यापन में उन्हें सरकारी सेवा में उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

6. सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा–भत्ता/महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

28 अप्रैल, 2015 ई0

संख्या 522/II-2015-01(90)/2003–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन वर्ष 2014–15 के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 07/46/ई–1/डी0पी0सी0(ए0ई0)/2014–15, दिनांक 16–04–2015 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित संगणकों को सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ 15600–39100 एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नानुसार पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	श्री पार सिंह नेगी	रिक्त पद
2.	श्री गिरीश चन्द्र कोटियाल	रिक्त पद
3.	श्री खिलाप सिंह नेगी	रिक्त पद
4.	श्री प्रेम विनोद उनियाल	श्री मदनू, सहा0 अभि0 के दिनांक 30–04–2015 को सेवा0नि0 से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष।
5.	श्री चन्द्रशेखर जोशी	श्री खिलाप सिंह नेगी की सेवा0नि0 दिनांक 30–04–2015 से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों की वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी पहले हो, की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

आज्ञा से,

किशन नाथ,
अपर सचिव।

वन एवं पर्यावरण, विभाग

कार्यभार प्रमाण–पत्र

19 मई, 2015 ई0

पत्रांकः मेमो/वन एवं पर्यावरण विभाग/2015–प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–885/X-1-2015-04 (05)/2014, दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण के पद पर दिनांक 19 मई, 2015 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

मीनाक्षी जोशी,
भा0 व0 से0।

प्रतिहस्ताक्षरित

(डॉ0 रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/303–भाग 1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2015 ई0 (ज्येष्ठ 23, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 10, 2015

No. 123 UHC/XIV/72/Admin.A/2003--Sri Brijendra Singh, 6th Addl. District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 04 days *w.e.f.* 23-03-2015 to 26-03-2015.

NOTIFICATION

April 10, 2015

No. 124 UHC/XIV/82/Admin.A/2003--Smt. Pritu Sharma, 8th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 15 days *w.e.f.* 09-03-2015 to 23-03-2015.

NOTIFICATION

April 18, 2015

No. 126 UHC/XIV/23/Admin.A/2010--Sri Sahdev Singh, 2nd Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 33 days *w.e.f.* 09-03-2015 to 10-04-2015 with permission to prefix 05-03-2015 to 07-03-2015 as Holi, 08-03-2015 as Sunday holiday and to suffix 11-04-2015 and 12-04-2015 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

NOTIFICATION

April 29, 2015

No. 132 UHC/XIV/52/Admin.A/2012--Sri Akram Ali, the then Civil Judge (Jr. Div.), Chakrata, District Dehradun, presently posted as Judicial Magistrate-II, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 30-03-2015 to 13-04-2015 with permission to prefix 28-03-2015 & 29-03-2015 as Ram Navami and Sunday respectively and to suffix 14-04-2015 Ambedkar Jayanti holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 135/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013 dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Ashutosh Tiwari is posted as Judicial Magistrate, Bageshwar, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 136/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013 dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Ms. Meenal Chawla is posted as Judicial Magistrate, Almora, in the vacant Court. She is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 137/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No, 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Ms.Tista Shah is posted as 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 138/UHC/AdmIn.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Ms.Afiya Mateen is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 139/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Amit Kumar is posted as Judicial Magistrate, Chamoli, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 140/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Alok Ram Tripathi is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Champawat, in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 141/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Mithilesh Pandey is posted as Judicial Magistrate, Pauri Garhwal, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 142/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Govemment Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Govemment Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Ravindra Dev Mishra is posted as Judicial Magistrate, Pithoragarh, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 143/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Govemment Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Ravi Ranjan is posted as Judicial Magistrate, Rudraprayag, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 144/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Kapil Kumar Tyagi is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Kirtinagar, District Tehri Garhwal, in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 145/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Govemment Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Govemment Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Abhay Singh is posted as Judicial Magistrate, Kotdwar, District Pauri Garhwal, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 146/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Govemment Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Mohammad Arif is posted as Judicial Magistrate, Uttarkashi, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 147/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Ms. Mamta Pant is posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun, in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 148/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Govemment Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Ms. Anamika is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital, in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 149/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Ms. Beenu Gulyani is posted as Judicial Magistrate-I, Haldwani, District Nainital, in the vacant Court. She is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 150/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Nadeem Ahamad is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, District Almora, in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 151/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Dharmendra Shah is posted as Judicial Magistrate, Laksar, District Hardwar, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 152/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Ms. Sahista Bano is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Dhari, District Nainital, in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 153/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Sri Anoop Singh is posted as Judicial Magistrate-II, Roorkee, District Hardwar, in the vacant Court. He is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 154/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Ms. Shama Parveen is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 155/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Ms. Manju Devi is posted as Judicial Magistrate, Ramnagar, District Nainital, in the vacant Court. She is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 156/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Ms. Jayshree Rana is posted as Judicial Magistrate, Vikasnagar, District Dehradun, in the vacant Court. She is appointed in the said Court U/S 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

May 05, 2015

No. 157/UHC/Admin.A/2015--Pursuant to the Government Notification No. 761/XXX-1-15-25(3)2013, dated 08-04-2015 read with Government Letter No. 526/XXX-1-15-25(3)/2013, dated 28-04-2015, Ms. Suman is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital, in the vacant Court.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-
For Registrar General.

NOTIFICATION

May 19, 2015

No. 172/UHC/Admin.A/2015--Ms. Vibha Yadav, Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is transferred and posted as Assistant Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, District Nainital, in the vacant post.

NOTIFICATION

May 19, 2015

No. 173/UHC/Admin.A/2015--Ms. Indu Sharma, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Vibha Yadav.

NOTIFICATION

May 19, 2015

No. 174/UHC/Admin.A/2015--Ms. Sweta Pandey, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Indu Sharma, She will continue functioning exclusively as Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar, on full time basis.

This order will come into force with immediate effect.

NOTIFICATION

May 19, 2015

No. 175/UHC/Admin.A/2015--Smt. Sujata Singh, Additional Director, Uttarakhand Judicial ang Legal Acadmey, Bhowali, District Nainital is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital, *vice* Sri Yogesh Kumar Gupta.

NOTIFICATION

May 19, 2015

No. 176/UHC/Admin.A/2015--Sri Yogesh Kumar Gupta, 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital is transferred and posted as Additional Director, Uttarakhand Judicial and Legal Acadmey, Bhowali, District Nainital, *vice* Smt. Sujata Singh.

The order will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-
D. P. GAIROLA,
Registrar General.

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

March 12, 2015

No. 105/I-09-2013--Certified that the office of District & Sessions Judge, Pithoragarh was transferred on proceeding to medical leave *w.e.f.* 12-03-2015 to 25-03-2015, in anticipation of sanctions of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital, as hereinafter denoted, in the forenoon of March 12, 2015.

CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE

March 26, 2015

No. 122/I-09-2013--Certified that the office of District & Sessions Judge, Pithoragarh was taken over after availing medical leave *w.e.f.* 12-03-2015 to 25-03-2015, in anticipation of sanctions of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital, as hereinafter denoted, in the forenoon of March 26, 2015.

C. P. BIJLWAN,
District & Sessions Judge.
Pithoragarh.

Counter-Signed,

Sd/-(Illegible)
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

OFFICE OF DISTRICT & SESSIONS JUDGE, CHAMPAWAT

TAKING OVER CHARGE CERTIFICATE

ON FIRST APPOINTMENT

May 11, 2015

No. 338/I-09-2015--"Certified that the charge of the office of Civil Judge (Jr.Div.), Champawat has been taken over by me, as here is denoted, in the forenoon of 11th of May, 2015 under the notification No. 140/UHC/Admin. A./2015, dated May 05, 2015 of the Hon'ble High Court *vide* letter No. 2116/XIII-d-1/Admin.A./2013, Dated 05th May, 2015."

ALOK RAM TRIPATHI,
Civil Judge (Jr. Div.),
Champawat.

Counter-Signed,

B.S. Dugtal,
District Judge, Champawat.

OFFICE OF PUBLIC SERVICES TRIBUNAL, UTTARAKHAND

ORDER

January 29, 2015

No. 37--"Sri Dharam Singh, Registrar, Public Services Tribunal, Uttarakhand, Dehradun is hereby sanctioned Earned leave for 15 days *w.e.f.* 02-02-2015 to 16-02-2015 with permission to prefix 01-02-2015 as Sunday holiday and suffix 17-02-2015 as Mahashivratri holiday.

By Order of Hon'ble Chairman,

Joint Registrar,
Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून

अधिसूचना

13 जनवरी, 2015 ई0

उ0वि0नि0 आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबन्धन और शर्तें) अधिनियम, 2015

सं0 यूईआरसी/एफ (9) आरजी/यूईआरसी/2015/1883 : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39, 40, 42 और 86 के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ और इस निमित्त सक्षमधारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाना प्रस्तावित करते है, अर्थात् :–

अध्याय –1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 होगा।

(2) ये विनियम, पूर्वोक्त तिथि से प्रभावी हो कर वर्तमान उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 को प्रतिस्थापित कर सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. **परिधि**

ये विनियम राज्य की राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणालियों का उपयोग करने वाले उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू होंगे, जिसमें राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के साथ साथ ऐसी प्रणाली के उपयोग किये जाने का समय भी सम्मिलित है।

3. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) "अनुमोदित क्षमता" से उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं हेतु अन्तःसंयोजन के बिन्दु (बिन्दुओं) पर द्विपक्षीय/सामूहिक लेनदेन हेतु एम0डी0एल0सी0/आर0एल0डी0सी0/एस0एल0डी0सी0 द्वारा अनुमोदित मेगावॉट में क्षमता अभिप्रेत है;

(3) "आवेदक" से ऐसा उपभोक्ता, व्यापारी, वितरण, अनुज्ञापी या एक उत्पादक कम्पनी अभिप्रेत है जिसने यथास्थिति, संयोजन अथवा उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन किया है;

(4) "सी0ई0ए0 संयोजन विनियम" से समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के संयोजन हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(5) "आयोग" से अधिनियम की धारा 82 में संदर्भित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(6) "उपभोक्ता" शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में दिया गया है किन्तु यह उत्तराखण्ड राज्य के भीतर ऐसे उपभोक्ताओं तक सीमित रहेगा जिन पर ये विनियम लागू होने है;

(7) "संविदाकृत भार" से किलो वॉट एम्पियर (kVA) में वह भार अभिप्रेत है जिस पर वितरण अनुज्ञापी शासित अनुबंधों और शर्तों के अधीन आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ है और जो संयोजित भार से भिन्न है;

(8) "दिवस" से 00.00 बजे से 24.00 घण्टे बाद समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(9) "वितरण अनुज्ञापी" से उत्तराखण्ड राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए वितरण प्रणाली के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु प्राधिकृत अनुज्ञापी अभिप्रेत है;

(10) "अंतःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता" से ऐसा उपभोक्ता अभिप्रेत है जिसका उस वितरण अनुज्ञापी के साथ आपूर्ति करार है जिसके आपूर्ति क्षेत्र के उपभोक्ता अवस्थित है और उक्त वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता होना बन्द किये बिना वर्ष में 'एक माह या अधिक में' एक दिन या अधिक में एक टाईम स्लॉट या अधिक में उन्मुक्त अभिगमन के अधीन वहकिसी अन्य व्यक्ति से अपनी मांग की पूर्ण या आंशिक निकासी के विकल्प का उपयोग करता है तथा सुसंगत श्रेणी पर लागू दर अनुसूची के अनुसार मासिक मांग प्रभार और अन्य प्रभारों का भुगतान करना जारी रखता है;

(11) इन विनियमों के प्रयोजन से "अपरिहार्य घटना" से नीचे लिखी घटनाएं या परिस्थितियां या घटनाओं और/या परिस्थितियों का मेल अभिप्रेत है:

(a) प्राकृतिक घटना जिसमें आकाशीय बिजली, आग और धमाका, भूकम्प, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, तूफान, बवंडर, भूगर्भीय आश्चर्य या ऐसी अपवादी रूप से प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों की सांख्यिकी से अधिकता में हों; या

(b) कोई युद्ध, आक्रमण, सैनिक संघर्ष, सार्वजनिक शत्रुता, बंदी, अवरोध, क्रान्ति, दंगे, सशस्त्र विप्लव, आतंकवादी या मिलिट्री कार्यवाई; या

(c) अग्नि, धमाका, रेडियाएक्टिव संदूषण और विषैला खतरनाक रासायनिक संदूषण;

(12) "आई0ई0जी0सी0" से समय–समय पर संशोधित अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (h) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता अभिप्रेत है।

(13) एक उत्पादक स्टेशन हेतु टाईम ब्लॉक में "असंतुलन" से मेगावॉट में इसका वास्तविक उत्पादन ऋण अनुमोदित क्षमता (मेगावॉट में) अभिप्रेत है और एक उपभोक्ता या क्रेता के लिए इसकी वास्तविक रिकॉर्डेड ऊर्जा ऋण उपभोक्ता के परिसर पर इसकी अनुसूचित ऊर्जा अभिप्रेत है;

(14) "दीर्घावधि अभिगमन" से न्यूनतम 12 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष हेतु राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन अभिप्रेत है;

(15) "मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन" से न्यूनतम तीन माह और अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के उन्मुक्त अभिगमन अभिप्रेत है;

(16) "माह" से ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार एक कैलेण्डर माह अभिप्रेत है;

(17) "नोडल एजेन्सी" से इन विनियमों के विनियम 12 (3) में परिभाषित नोडल एजेन्सी अभिप्रेत है;

(18) "उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता" (संक्षेप में उपभोक्ता) से ऐसा उपभोक्ता, व्यापारी, वितरण अनुज्ञापी या एक उत्पादक कंपनी अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किया गया है;

(19) "लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन" से एक समय पर एक माह तक की अवधि हेतु उन्मुक्त अभिगमन अभिप्रेत है;

(20) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(21) "राज्य ग्रिड संहिता" से समय–समय पर संशोधित और इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तिथि पर लागू अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (1) खण्ड (G) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड संहिता अभिप्रेत है;

(22) "अटकी हुई पारेषण/वितरण क्षमता" से ऐसी पारेषण/वितरण क्षमता अभिप्रेत है जिनके एक दीर्घविधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता द्वारा पहुंच के अधिकारों के त्याग के कारण अनुपयोग में रहने की संभावना है;

(23) "राज्य पारेषण कंपनी" से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 की उप–धारा (1) के अधीन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है;

(24) "पारेषण अनुज्ञापी" से उत्तराखण्ड राज्य में पारेषण लाईनें स्थापित करने और चलाने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञापी अभिप्रेत है;

(25) इन विनियमों में उपयोग किये गये सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम या आई0ई0जी0सी0 या राज्य ग्रिड संहिता, वितरण संहिता में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उनके लिए यथा स्थिति अधिनियम या आई0ई0जी0सी0 या राज्य ग्रिड संहिता, वितरण संहिता में नियत किया गया है;

(26) इन विनियमों के निर्वचन हेतु समय–समय पर संशोधित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह संसद के एक अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

अध्याय–2

संयोजिता

4. संयोजिता

उन्मुक्त अभिगमन उपयोक्ता तब तक संयोजन प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे जब तक कि वे समय समय पर यू0ई0आर0सी0 (नये एच0टी0 और ई0एच0टी0 संयोजन जारी करना, भार में वृद्धि और कमी) विनियम, 2008 के विनिर्दिष्ट वोल्टेज स्तरों पर पहले से ही संयोजित न हों।

परन्तु आर0ई0 उत्पादकों को वोल्टेज स्तरों पर संयोजन प्रदान किये जायेंगे जब तक कि वे समय–समय पर संशोधित यू0ई0आर0सी0 (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क और अन्य निबंधन) विनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पहले से संयोजित न हों।

5. राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली पर संयोजन हेतु आवेदन प्रक्रिया

(1) आवेदक संयोजन हेतु एस0टी0यू0 द्वारा नियत की गई विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेगा।

(2) आवेदन के साथ देहरादून में देय उत्तराखण्ड ऊर्जा पारेषण निगम (पिटकुल)के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा पांच लाख रूपये की अप्रतिदेय फीस संलग्न करेगा।

(3) संयोजन हेतु आवेदन में, आवेदक की प्रस्तावित भौगोलिक अवस्थिति, विनिमय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा अर्थात् एक उत्पादक स्टेशन जिसमें कैप्टिव उत्पादक संयंत्र भी सम्मिलित है, के मामले में इन्जेक्ट की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा और एक उपभोक्ता के मामले में निकासी की जाने वाली

ऊर्जा की मात्रा जैसे विवरणों के साथ राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली व अन्य ऐसे विवरण जो कि पूर्वोक्त विस्तृत प्रक्रिया में राज्य पारेषण कम्पनी द्वारा नियत किये गये हो, का समावेश होगा।

परन्तु ऐसे मामलों में जहां एक बार आवेदन दाखिल कर दिया गया है और उसके पश्चात् आवेदक की अवस्थिति में कोई भौतिक परिवर्तन हुआ हो या राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के साथ विनिमय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हुआ हो वहां आवेदक एक नया आवेदन करेगा जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

6. संयोजन हेतु आवेदन का प्रक्रमण और एस0टी0यू0 द्वारा उसे प्रदान करना:–

(1) आवेदन प्राप्त होने पर एस0टी0यू0 उसका प्रक्रमण करेगी तथा सी0एफ0ए0 संयोजन विनियमों में विनिर्दिष्ट आवश्यक अन्तः संयोजन अध्ययन करेगी।

(2) राज्य पारेषण कम्पनी ऊपर उप–विनियम (1) के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने से तीस (30) दिन के भीतर तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त सभी सुझावों और टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्:

(a) एस0एल0डी0सी0 द्वारा विनिर्दिष्ट आशोधनों या शर्तों के साथ आवेदन स्वीकार करेगी;

(b) यदि आवेदन इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो कारण अभिलिखित कर आवेदन अस्वीकार करेगी।

(3) ऊपर उप–विनियम (2) के खण्ड (a) के अनुसार एक आवेदन के स्वीकार होने पर राज्य पारेषण कम्पनी आवेदक को एक औपचारिक प्रस्ताव देगी।

(4) आवेदक द्वारा आवश्यक शर्तों का अनुपालन हो जाने पर एस0टी0यू0 सम्बन्धित आवेदक को यह अधिसूचित करेगा कि इसे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली से संयोजित किया जा सकता है।

(5) एस0टी0यू0 आवेदक के साथ एक संयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा और उसकी एक प्रति राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रदान करेगा।

(6) संयोजन प्रदान करते समय, एस0टी0यू0 उस उप–स्टेशन या पूलिंग स्टेशन या स्विचयार्ड का नाम विनिर्दिष्ट करेगी जहां संयोजन प्रदान किया जाना है। यदि संयोजन वर्तमान या प्रस्तावित लाईन लूपिंग इन और लूपिंग आउट द्वारा प्रदान किया जाना है तो एस0टी0यू0 संयोजन बिन्दु और उस लाईन का नाम विनिर्दिष्ट करेगी जिस पर संयोजन प्रदान किया जाना है। एस0टी0यू0 उपभोक्ता की सुविधाओं/उपकरणों जैसे स्विचयार्ड, एस0टी0यू0 के उप–स्टेशन पर इजेक्शन/निकासी के बिन्दु तक अन्तः संयोजन उपकरण और उस के पूर्ण होने की समय सीमा के व्यापक डिजायन फीचर्स इंगित करेगी। इन सुविधाओं की संरचना की लागत उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता द्वारा वहन की जायेगी। ऐसे मामलों में जहां संयोजन एस0टी0यू0 उप–स्टेशन पर दिया गया है वहां उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को एस0टी0वी0 के उप–स्टेशन में ब्रेकर इत्यादि की लागत और एस0एल0डी0सी0 को रियल टाईम डाटा के पारेषण हेतु आवश्यक उपकरणों की लागत भी वहन करनी होगी।

परन्तु एस0टी0यू0 में किये जाने वाले कार्यों से अन्यथा हेतु उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के पास इन कार्यों को एस0टी0यू0 के पर्यवेक्षण के अधीन किये जाने का विकल्प होगा।

(7) एस0टी0यू0 और आवेदक सी0ई0ए0 संयोजन विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे। संयोजन प्रदान कर देने से आवेदक ग्रिड के साथ ऊर्जा के किसी विनिमय हेतु प्राधिकृत नहीं होगा जब तक कि वह इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त न कर ले।

(8) उत्पादक स्टेशन, जिसमें कैप्टिव उत्पादक संयंत्र भी सम्मिलित है, जिसे ग्रिड से संयोजन प्रदान किया गया है, को राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जो कि अनुमति प्रदान करते समय ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखेगा, की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, किसी प्रकार का उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त करने से पहले ही उत्पादक स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने से पूर्व ग्रिड में अपनी अशक्त ऊर्जा इन्जेक्ट कर पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण करने की अनुमति होगी। एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट जिसके शुल्क का अवधारण आयोग द्वारा किया जाना है, से ऐसी अशक्त ऊर्जा के वाणिज्यिक व्यवहार ऐसे उत्पादकों हेतु शुल्क के निबंधनों और शर्तों पर, लागू विनियमों द्वारा शासित होंगे। अन्य उत्पादक स्टेशन्स जिनका शुल्क आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया जाना है, से ग्रिड में इजेक्ट की गई अशक्त ऊर्जा उस समय तक केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित यू0आई0 दरों पर प्रभारित की जायेगी जब तक कि आयोग द्वारा असंतुलन की दर अवधारित नहीं कर दी जाती।

7. **उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा वितरण प्रणाली से संयोजन हेतु आवेदन प्रक्रिया:–**

(1) वितरण प्रणाली से संयोजन चाह रहे सभी योग्य उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक संयोजन हेतु वितरण अनुज्ञापी द्वारा नियत की गई विस्तृत प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र में वितरण अनुज्ञापी के पास आवेदन करेंगे।

(2) आवेदन के साथ देहरादून में देय यू0पी0सी0एल0 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तीन लाख रूप्ये की अप्रतिदेय फीस संलग्न की जायेगी।

(3) संयोजन हेतु आवेदन में उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक का पता, इन्जेक्ट/निकासी की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा जैसे विवरण और ऐसे अन्य विवरण जो कि प्रक्रिया में वितरण अनुज्ञापी द्वारा नियत किये जायें का समावेश होगा।

परन्तु ऐसे मामलों में जहां एक बार आवेदन दाखिल कर दिया गया है और उसके पश्चात् आवेदक की अवस्थिति में भौतिक परिवर्तन हुआ है या वितरण प्रणाली के साथ विनिमय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हुआ है वहां आवेदक एक नया आवेदन करेगा जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जयेगा।

8. **आवेदन का प्रक्रमण और वितरण अनुज्ञापी द्वारा एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को वितरण प्रणाली में संयोजन प्रदान करना:–**

(1) आवेदन प्राप्त होने पर वितरण अनुज्ञापी एस0टी0यू0 के साथ परामर्श कर और उसके साथ समन्वय कर आवेदन का प्रक्रमण करेगा और सी0ई0ए0 संयोजन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक अन्तःसंयोजन अध्ययन करेगा।

(2) वितरण अनुज्ञापी ऊपर उप–विनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के तीस (30) दिन के भीतर;

(a) आवेदन स्वीकार करेगा;

(b) यदि ऐसा आवेदन इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो कारण अभिलिखित कर आवेदन को अस्वीकार करेगा।

(3) उपरोक्त उप–विनियम के खण्ड (a) के अनुसार एक आवेदन स्वीकार किये जाने के मामले में वितरण अनुज्ञापी आवेदक को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजेगा।

(4) आवेदक द्वारा आवश्यक शर्तों का अनुपालन होने के पश्चात् वितरण अनुज्ञापी संबंधित आवेदक को अधिसूचित करेगा कि इसे वितरण प्रणाली से संयोजित किया जा सकता है।

(5) वितरण अनुज्ञापी आवेदक के साथ एक संयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा और उसकी एक प्रति राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उपलब्ध करायेगा।

(6) संयोजन प्रदान करते समय वितरण अनुज्ञापी उस उप–स्टेशन या पूलिंग स्टेशन या स्विचयार्ड का नाम विनिर्दिष्ट करेगा जहां संयोजन अनुमन्य किया जाना है। यदि संयोजन वर्तमान या प्रस्तावित लाईन के लूपिंग इन और लूपिंग आउट द्वारा दिया जाना है तो वितरण अनुज्ञापी संयोजन के बिन्दु और ऐसी लाईन का नाम विनिर्दिष्ट करेगा।

(7) वितरण अनुज्ञापी उपभोक्ता की सुविधाओं/उपकरणों जैसे स्विचयार्ड, वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशन में इन्जेक्शन/निकासी के बिन्दु तक अन्तः संयोजन उपकरण की व्यापक डिजायन विशेषताओं और इसको पूरा करने के लिए समय सीमा इंगित करेगा। इन सुविधाओं की संरचना की लागत उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा वहन की जायेगी। ऐसे मामलों में जहां संयोजन वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशन पर दिया जाता है वहां उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशन में बे, ब्रेकर्स इत्यादि तथा एस0एल0डी0सी0 को रियल टाईम डाटा के पारेषण हेतु आवश्यक उपकरणों की लागत भी वहन करनी होगी। आवेदक और वितरण अनुज्ञापी सी0ई0ए0 संयोजन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशन में किये जाने वाले कार्यों से अन्यथा कार्यों के लिए उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के पास वितरण अनुज्ञापी के पर्यवेक्षण के अधीन इन कार्यों को करने का विकल्प रहेगा।

(8) संयोजन प्रदान करने से आवेदक को ग्रिड के साथ किसी ऊर्जा के विनिमय का प्राधिकार नहीं होगा जब तक कि वह इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त न कर ले।

(9) यदि ग्राहक एक उत्पादक कम्पनी है, जिसमें उत्पादक संयत्र सम्मिलित है, जिसे वितरण प्रणाली से संयोजन प्रदान किया गया है, को राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जो कि अनुमति प्राप्त करते समय ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखेगा, की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, किसी प्रकार का उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त करने से पहले ही उत्पादक स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने से पूर्व ग्रिड में अपनी अशक्त ऊर्जा इन्जेक्ट कर पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण करने की अनुमति होगी। एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट जिसके शुल्क का अवधारण आयोग द्वारा किया जाता है, से ऐसी अशक्त ऊर्जा के वाणिज्यिक व्यवहार ऐसे उत्पादकों हेतु शुल्क के निबन्धनों और शर्तों पर, लागू विनियमों द्वारा लागू होंगें, अन्य उत्पादक स्टेशन्स जिनका शुल्क आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया जाता है, से ग्रिड में इन्जेक्ट की गई अशक्त ऊर्जा उस समय तक केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित यू0आई0 दरों पर प्रभारित की जायेगी जब तक कि राज्यान्तर्गत ए0बी0टी0 तंत्र के अधीन यू0आई0 दरें आयोग द्वारा अवधारित न कर दी जायें।

9. उन्मुक्त अभिगमन चाहने के लिये वितरण अनुज्ञापी के उपभोक्ता के साथ वितरण प्रणाली में संयोजन हेतु आवेदन प्रक्रिया

उपभोक्ता के साथ वितरण प्रणाली में संयोजन यू0ई0आर0सी0 (नये एच0टी0 व ई0एच0टी0 संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि और कमी) विनियम, 2008 और ऐसे उपभोक्ताओं के लिए इन विनियमों के लागू उपबंधों में नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार शासित होगा।

अध्याय –3

उन्मुक्त अभिगमन हेतु साधारण उपबंध

10. उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्यता और समाधान की जाने वाली शर्तें

(1) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञापी, उत्पादक कम्पनियों, कैप्टिव उत्पादक संयंत्र और उपभोक्ता इन विनियमों के अध्याय–5 के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित पारेषण और अन्य प्रभारों के भुगतान पर राज्य पारेषण अनुज्ञापी की राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली तक उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्य होंगे।

(2) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञापी, उत्पादक स्टेशन्स, कैप्टिव उत्पादक संयंत्र और उपभोक्ता इन विनियमों के अध्याय–5 के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित व्हीलिंग और प्रभारों के भुगतान पर वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली तक उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्य होंगे।

(3) इन विनियमों के अधीन राज्य के वितरण अनुज्ञापी के क्षेत्र के भीतर अवस्थित उपभोक्ता जिनके पास 100 किलोवॉट एम्पीयर और इससे अधिक संविदाकृत भार है तथा 11 किलोवॉट या इससे अधिक पर अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से संयोजित है और औद्योगिक फीडर के द्वारा संयोजित हैं, को उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति होगी।

परन्तु जब उपभोक्ता औद्योगिक फीडर से संयोजित हो तब उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति केवल तभी होगी जब ऐसे औद्योगिक फीडर पर सभी उपभोक्ता उन्मुक्त अभिगमन का विकल्प चाहें तथा ऐसे उन्मुक्त अभिगमन के अधीन निकासी की एक ही समय की अनुसूची हो।

परन्तु जब औद्योगिक फीडर से संयोजित दो या इस से अधिक उपभोक्ता निरंतर आपूर्ति के विकल्प का उपयोग कर रहे हों तब उन्मुक्त के अधीन उन्हें निकासी की एक ही समय की अनुसूची की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि वे उपभोक्ता जो स्वतंत्र फीडर पर नहीं हैं उन्हें इस शर्त के अधीन उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति होगी कि वे उनको पोषित करने वाले फीडर पर कम्पनी द्वारा लगाये गये रोस्टरिंग प्रतिबंध से सहमत हों।

परन्तु आगे यह भी कि ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के सम्बन्ध में वितरण अनुज्ञापी के कर्तव्य, अधिनियम की धारा 42 (3) के अनुसार भेदभाव बिना उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने वाले कॉमन कैरीअर होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या जिसके विरूद्ध आवेदन के समय वितरण/पारेषण अनुज्ञापी की दो माह से अधिक की बिलिंग के बकाया देय हो वह उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्य नहीं होगा।

11. **दीर्घावधि अभिगमन या मध्यम अवधि या लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए मानदण्ड**

(1) दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करने से पहले एस0टी0यू0/ वितरण अनुज्ञापी को उनकी संबंधित राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली हेतु आवश्यक वृद्धि के प्रति उचित सम्मान होगा।

(2) किसी आवेदक को मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन तभी प्रदान किया जायेगा जब ऐसे उन्मुक्त अभिगमन के कारण परिणामी ऊर्जा प्रवाह को उपरोक्त प्रणालियों के वर्तमान ऊर्जा प्रवाह के मुकाबले में क्षमता का विधिवत विचार करने के पश्चात् वर्तमान/अपेक्षित पारेषण/वितरण प्रणाली या निष्पादन के अधीन पारेषण/वितरण प्रणाली में संजोया जा सके।

परन्तु मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन अथवा लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के एक मात्र उद्देश्य से पारेषण/वितरण प्रणाली से कोई वृद्धि प्राप्त नहीं की जायेगी।

परन्तु आगे यह भी कि एक डेडिकेटड पारेषण/वितरण लाईन का निर्माण इन विनियमों के प्रयोजन से पारेषण/वितरण प्रणाली की वृद्धि के रूप में नहीं समझा जायेगा।

अध्याय –4

उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन प्रक्रिया और अनुमोदन

12. **उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन प्रक्रिया**

(1) उन्मुक्त अभिगमन हेतु सभी आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किये जायेंगे और इन विनियमों के अनुसार नोडल एजेन्सी के पास जमा किये जायेंगे। यदि कोई उपभोक्ता वितरण अनुज्ञापी के साथ संयोजित है तो आवेदन की प्रति सूचनार्थ वितरण अनुज्ञापी को भेजी जायेगी।

परन्तु यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो अन्य दस्तावेजों के साथ–साथ वह आवेदन के साथ पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति जमा करेगा।

(2) उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले सभी आवेदक यह शपथ–पत्र जमा करेंगे कि जिस क्षमता (ऊर्जा की मात्रा) हेतु उन्मुक्त अभिगमन चाहा गया है उसके लिए कोई ऊर्जा क्रय करार (पी0पी0ए0) या कोई अन्य द्विपक्षीय करार नहीं किया गया है।

(3) नोडल एजेन्सी, आवेदन शुल्क, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज और आवेदन के निष्पादन हेतु समय सीमा निम्नलिखित सारिणी में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगे:–

क्र0 सं0	अवधि	निकासी और इजेक्शन बिन्दु की परस्पर अवस्थिति	नोडल एजेन्सी	आवेदन शुल्क (रु0)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निपटान हेतु समय सीमा (आवेदन की प्राप्ति दिन)
1.	लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन	वितरण प्रणाली में निकासी और इन्जेक्शन बिंदु	वितरण अनुज्ञापी	2000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति	• यदि एस0टी0ओ0ए0 पहली बार लागू किया गया है तो 7 कार्य दिवस • पश्चातवर्ती एस0टी0ओ0ए0 लागू होने पर 3 कार्य दिवस
2.		वितरण प्रणाली में निकासी बिन्दु और राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में इन्जेक्शन बिन्दु	एस0एल0डी0सी0	5000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति	–तदैव–

3.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी बिन्दु और वितरण प्रणाली में इन्जेक्शन बिन्दु	एस0एल0डी0सी0	5000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति	–तदैव–
4.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी और इन्जेक्शन बिन्दु	एस0एल0डी0सी0	5000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति	–तदैव–
5.		विभिन्न राज्यों में निकासी और इन्जेक्शन बिन्दु	जहां उपभोक्ता अवस्थित है उस क्षेत्र का आर0एल0डी0सी0	सी0ई0 आर0सी0 विनियमों के अनुसार	• लागू हुए अनुसार संबंधित एस0एल0डी0सी0एस0 से सहमति • आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता है तो पिछले भुगतान किये गये बिल की प्रति	सी0ई0आर0सी0 विनियमों के अनुसार
1.	मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन	वितरण प्रणाली में निकासी और इंजेक्शन बिन्दु	वितरण अनुज्ञापी	50000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो यह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एम0टी0ओ0ए0 की **आशयित** तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	20 दिन

2.		वितरण प्रणाली में निकासी बिन्दु और राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में इन्जेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	100000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एम0टी0ओ0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	40 दिन
3.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी बिन्दु और वितरण प्रणाली में इजेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	100000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एम0टी0ओ0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	40 दिन
4.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी बिन्दु और इजेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	100000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एम0टी0ओ0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	
5.		विभिन्न राज्यों में निकासी	सी0टी0यू0	सी0ई0	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत	सी0ई0आर0सी0 विनियम के

		और इन्जेक्शन बिन्दु		आर0सी0 विनियम के अनुरूप	• पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एम0टी0ओ0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा। • लागू हुए अनुसार संबंधित एस0एल0डी0 सी0 से सहमति	अनुसार
1.	दीर्घ अवधि उन्मुक्त अभिगम	वितरण प्रणाली में निकासी और इन्जेक्शन बिन्दु	वितरण अनुज्ञापी	50000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एल0टी0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	20 दिन
2.		वितरण प्रणाली में निकासी बिन्दु और राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में इन्जेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	200000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य की एल0टी0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	• जहां पारेषण/ वितरण प्रणाली का सम्वर्धन आवश्यक नहीं है, वहां 120 दिन • जहां पारेषण प्रणाली का संवर्धन आवश्यक है वहां 270 दिन • जहा वितरण प्रणाली का संवर्धन आवश्यक है

						वहां 180 दिन
3.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी बिन्दु और वितरण प्रणाली में इजेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	200000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत, बैंक गारंटी • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन या उपभोक्ता पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य कि एल0टी0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	–तदैव–
4.		राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में निकासी और इजेक्शन बिन्दु	एस0टी0यू0	200000	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत, बैंक गारंटी • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन या उपभोक्ता पहले से ग्रिड से संयोजित नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य कि एल0टी0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा।	–तदैव–
5.		विभिन्न राज्यों में निकासी और इजेक्शन बिन्दु	सी0टी0यू0	सी0ई0 आर0सी0 विनियम के अनुसार	• आवेदन शुल्क के भुगतान का सबूत, बैंक गारंटी • पी0पी0ए0 या ऊर्जा के क्रय विक्रय का करार • यदि उत्पादक स्टेशन या उपभोक्ता पहले से ग्रिड से संयोजित	

					नहीं है तो वह दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य कि एल0टी0ए0 की आशयित तिथि से पहले संयोजन पूर्ण कर लिया जायेगा। • लागू हुए अनुसार संबंधित एस0एल0डी0सी0, एस0टी0यू0 से सहमति	

13. दीर्घावधि अभिगमन हेतु प्रक्रिया

(1) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली को संलग्न करना

यहां नीचे उप–विनियम (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी राज्यान्तर्गत दीर्घावधि अभिगमन हेतु प्रक्रिया समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (संयोजन, राज्यान्तर्गत पारेषण में दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि अभिगमन प्रदान करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2009 के अनुसार होगी।

(2) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली को संलग्न किये बिना यहां ऊपर उप–विनियम (1) के उपबन्धों के अधीन राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली को संलग्न करते हुए राज्यान्तर्गत दीर्घावधि अभिगमन यहां नीचे खण्ड (a) से (j) तक के उपबंधों के अनुसार होगा।

(a) दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करने हेतु आवेदन में उस कंपनी या कंपनियों के नाम का समावेश होगा जिन से विद्युत प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, इसके साथ ही ऊर्जा की मात्रा तथा ऐसे अन्य विवरण होंगे जिन्हें विस्तृत प्रक्रिया में नोडल एजेन्सी द्वारा नियत किया जाये।

परन्तु यदि पारेषण/वितरण प्रणाली का संवर्धन आवश्यक हो तो आवेदक को इन विनियमों के अध्याय –5 में समोवेशित विनियम 20 के उप विनियम (1) के तीसरे परन्तुक और उप विनियम (2) के चौथे परन्तुक के अनुसार इसके लिए पारेषण/व्हीलिंग प्रभार भी वहन करने होंगे।

परन्तु आगे यह कि जहां आवेदक की अवस्थिति में भौतिक परिवर्तन हो या राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण का उपयोग करते हुए विनिमय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हो वहां एक नया आवेदन किया जायेगा जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

(b) आवेदक, परिपूर्ण रूप से राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली नियोजित करने के लिए नोडल एजेन्सी को समर्थ बनाने हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा मांगी गई कोई अन्य जानकारी

प्रदान करेगा जिसमें राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली का उपयोग करते हुए विनिमय की जाने वाली ऊर्जा के मूल्यांकन हेतु आधार और विभिन्न कंपनियों या क्षेत्रों को या से पारेषित की जाने वाली ऊर्जा सम्मिलित है।

(c) आवेदन के साथ पारेषित की जाने वाली कुल ऊर्जा का प्रति मेगावॉट रू0 10,000.00 (दस हजार) की बैंक गारंटी संलग्न की जोयगी। यह बैंक गारंटी विस्तृत प्रक्रिया के अधीन नियत किये गये तरीके से नोडल एजेन्सी के पक्ष में देनी होगी।

(d) प्रति मेगावॉट रू0 10,000.00 (दस हजार) की बैंक गारंटी को दीर्घावधि अभिगमन करार के निष्पादित होने तक विधिमान्य और अस्तित्वशील रखा जायेगा। इसके पश्चात् बैंक गारंटी उन्मोचित हो जायेगी।

परन्तु यदि पारेषण/वितरण का संवर्धन आवश्यक हो तो आवेदक विस्तृत प्रक्रिया के उपबन्धों के अनुसार निर्माण चरण हेतु एस0टी0यू0 के पास दूसरी बैंक गारंटी जमा करेगा।

(e) आवेदक द्वारा आवेदन वापस ले लेने पर या जब पारेषण प्रणाली का संवर्धन आवश्यक न हो तब यदि इसके कार्यान्वयन से पूर्व दीर्घावधि अभिगमन त्याग दिया जाता है तो नोडल एजेसी द्वारा बैंक गारंटी भुनाई जा सकेगी।

(f) आवेदन प्राप्त होने पर, नोडल ऐजेन्सी, वितरण अनुज्ञापी के साथ परामर्श कर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करने का निर्णय ऊपर विनियम 12 के उप–विनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लिया जाये, यथा संभव शीघ्र और हर दशा में आवश्यक अध्ययन करवायेगी।

परन्तु यदि नोडल एजेन्सी को परामर्श या समन्वय की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है तो वह उपयुक्त निर्देशों के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है।

(g) प्रणाली अध्ययन के आधार पर नोडल एजेन्सी दीर्घावधि अभिगमन हेतु आवश्यक राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली विनिर्दिष्ट करेगी। यदि वर्तमान राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली का संवर्धन आवश्यक हो तो इसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करते समय नोडल एजेन्सी, आवेदक को वह तिथि सूचित करेगी जिस तिथि से ऐसा दीर्घावधि अभिगमन प्रदान किया जायेगा। साथ ही पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों का अनुमान भी प्रदान करेगी जिस में ऊपर उप–विनियम के प्रथम परन्तुक के अनुसार पारेषण/वितरण के संवर्धन से सम्बन्धित कार्यों, अतिरिक्त पारेषण/व्हीलिंग प्रभार, यदि कोई हैं, सम्मिलित है, जिनका इन विनियमों के अध्याय 5 में समावेशित विनियम 20 के उप–विनियम (1) के तृतीय परन्तुक और उप–विनियम (2) के चतुर्थ परन्तुक के अनुसार आयोग के अनुमोदन के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों की प्रचलित लागतों, कीमतों और अंशभागिता की कार्य–विधि के आधार पर देय होना संभावित है।

(h) यदि निकासी बिन्दु और इन्जेक्शन बिन्दु राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में अवस्थित हैं तो आवेदक विस्तृत प्रक्रिया में उपबंधित किये गये अनुसार एस0टी0यू0 के साथ दीर्घावधि अभिगमन हेतु करार पर हस्ताक्षर करेगा। तथापि, यदि ओवदक वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली (चाहे निकासी बिन्दु या इन्जेक्शन बिन्दु वितरण प्रणाली पर हैं) के साथ संयोजित हैं तो आवेदक एस0टी0यू0 और वितरण अनुज्ञापी के साथ एक त्रिपक्षीय करार हस्ताक्षरित करेगा। दीर्घावधि अभिगमन करार में दीर्घावधि अभिगमन के प्रारम्भ होने की तिथि, ग्रिड में ऊर्जा के इन्जेक्शन का बिन्दु और ग्रिड से निकासी का बिन्दु तथा डेडिकेटेड पारेषण/वितरण लाईनों का विवरण, यदि कोई आवश्यक है। यदि पारेषण/वितरण प्रणाली के संवर्धन की आवश्यकता है तो दीर्घावधि अभिगमन करार में आवेदक और पारेषण/वितरण अनुज्ञापी की सुविधाओं के निर्माण हेतु समय सीमा, आवेदक द्वारा प्रदान करने के लिए आवश्यक बैंक गारंटी और विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अन्य विवरणों का समावेश होगा।

(i) दीर्घावधि अभिगमन प्रदान किये जाने के तुरन्त पश्चात् नोडल एजेन्सी, राज्य प्रेषण केन्द्र को सूचना देगी ताकि वह इन विनियमों के अधीन प्राप्त लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिए निवेदन का प्रक्रमण करते समय इस पर विचार कर सके।

(j) दीर्घावधि अभिगमन की अवधि समाप्त होने पर, अपेक्षित विस्तार की अवधि का उल्लेख कर, ऐसी समाप्ति से कम से कम छः माह पूर्व लिखित निवेदन करने पर यह विस्तारित रहेगी। परन्तु यदि ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ग्राहक से कोई लिखित निवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उक्त दीर्घावधि अभिगमन उस तिथि पर समाप्त हो जायेगा जिस तक इसे प्रारम्भ में प्रदान किया गया था।

(3) **केवल वितरण प्रणाली को सम्मिलित करना**

ऐसे दीर्घावधि अभिगमन मामलों में जहां इन्जेक्शन का बिन्दु और निकासी का बिन्दु वितरण प्रणाली में अवस्थित है वहां नोडल एजेन्सी वितरण अनुज्ञापी होगा और ऊपर उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावष्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

14. **मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रक्रियाः**

(1) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सम्मिलित कर

यहां नीचें उप–विनियम (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी अन्तर्राज्यीय मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रक्रिया समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में संयोजन, दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि अभिगमन प्रदान करना और संबंधित मामले) अधिनियम, 2009 के अनुसार होगी।

(2) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सम्मिलित किये बिना

यहां ऊपर उप–विनियम (1) के उपबन्धों के अधीन राज्यान्तर्गत पारेषण/वितरण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए राज्यान्तर्गत मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन यहां नीचे उप–विनियम (a) से (g) तक के उपबन्धों के अनुसार होगाः–

(a) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन में विस्तृत प्रक्रिया के अधीन नोडल एजेन्सी द्वारा नियत किये विवरणों का समावेश होगा, विशेष रूप से इसमें इन्जेक्शन का बिन्दु, ग्रिड से निकासी का बिन्दु और उस ऊर्जा की मात्रा जिसके लिये मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन किया गया है, सम्मिलित होंगे।

(b) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन की आरम्भ तिथि, उस माह जिस में आवेदन किया गया है, के अंतिम दिन से 5 माह पहले की और 1 वर्ष बाद की नहीं होगी।

(c) आवेदन प्राप्त होने पर, नोडल एजेन्सी, वितरण अनुज्ञापी के साथ परामर्श कर आवेदन का प्रक्रमण करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यहां नीचे विनियम 12 के उप–विनियम (3) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने या न करने का निर्णय यथा संभव शीघ्र और हर दशा में लिया जाये, आवश्यक प्रणाली अध्ययन करवायेगीः

परन्तु यदि नोडल एजेन्सी को परामर्श या समन्वय की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है तो वह उपयुक्त निर्देशों के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है।

(d) यह समाधान हो जाने पर कि विनियम 11 के उप–विनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए मानदंड पूरे कर लिये गये हैं, नोडल एजेन्सी, आवेदक द्वारा मांगी गई अवधि के लिये मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करेगी।

परन्तु नोडल एजेन्सी कारण अभिलिखित कर आवेदक द्वारा मांगी गई अवधि से कम अवधि के लिये मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगन प्रदान कर सकेगी।

(e) यदि निकासी का बिन्दु और इन्जेक्शन का बिन्दु राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में अवस्थित है तो आवेदक एस0टी0यू0 के साथ मध्यम अवधि उन्मुक्त हेतु, विस्तृत प्रक्रिया में उपबंधित किये गये अनुसार एक करार हस्ताक्षरित करेगा। तथापि, आवेदक वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से संयोजित है (चाहे निकासी बिन्दु या इन्जेक्शन बिन्दु वितरण प्रणाली पर है) तो आवेदक एस0टी0यू0 और वितरण अनुज्ञापी के साथ एक त्रिपक्षीय करार कर हस्ताक्षर करेगा। मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन करार में मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन के आरम्भ और समाप्ति की तिथि, ग्रिड में ऊर्जा के इन्जेक्शन का बिन्दु तथा ग्रिड से निकासी का बिन्दु यदि अपेक्षित है तो डेडिकेटेड पारेषण/वितरण लाईनों का विवंतरण, आवेदक द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी तथा विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अन्य विवरणों का समावेश होगा।

(f) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के तुरन्त पश्चात् नोडल एजेन्सी राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचना देगी ताकि वह इन विनियमों के अधीन प्राप्त लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु निवेदनों का प्रक्रमण करते समय इस पर विचार कर सके।

(g) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन की समाप्ति पर मध्यम अवधि ग्राहक, अवधि के नवीनीकरण हेतु किसी अध्यारोही प्राथमिकता का हकदार नहीं होगा।

(3) केवल वितरण प्रणाली को सम्मिलित करना

मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन के ऐसे मामलों में जहां इन्जेक्शन का बिन्दु और निकासी का बिन्दु वितरण प्रणाली में अवस्थित है वहां नोडल एजेन्सी वितरण अनुज्ञापी होगा और ऊपर उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

15. लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रक्रिया

(1) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सम्मिलित कर

यहां नीचे उप–विनियम (2) से (3) में किसी बात के होते हुए भी अन्तर्राज्यीय लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रक्रिया समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में उन्मुक्त अभिगमन) विनियम, 2008 के अनुसार होगी।

(2) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सम्मिलित किये बिना

यहां ऊपर उप–विनियम (1) के उपबंधों के अधीन, राज्यान्तर्गत लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन, यहां नीचे खण्ड (a) से (g) के उपबंधों के अनुसार होगा:

(a) अग्रिम में उन्मुक्त अभिगमन

(i) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन चाहने के लिए आवेदन, जिस माह में आवेदन किया गया है उसे प्रथम माह मानते हुए चौथे माह तक नोडल एजेन्सी के पास जमा किया जा सकेगा।

परन्तु प्रत्येक माह और प्रत्येक लेन–देन के लिये पृथक आवेदन किया जायेगा।

(ii) नोडल एजेन्सी को आवेदन निर्धारित (प्रारूप एस0टी0–1) में होगा जिसमें आवश्यक क्षमता, नियोजित उत्पादन या संविदाकृत ऊर्जा क्रय, इन्जेक्शन का बिन्दु, निकासी का बिन्दु, उन्मुक्त अभिगमन के उपयोग की अवधि, पीक भार, औसत भार और अन्य ऐसे विवरण जो नोडल एजेन्सी द्वारा अपेक्षित हो, का विवरण होगा। आवेदन के साथ नकद में या नोडल एजेन्सी द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या सम्मिलित नोडल एजेन्सी को स्वीकार्य किसी अन्य माध्यम द्वारा अप्रतिदेय आवेदन शुल्क संलग्न किया जायेगा।

(iii) किसी माह में प्रारम्भ होने वाले उन्मुक्त अभिगमन को प्रदान किये जाने के लिए आवेदन पूर्ववर्ती माह के 15वें दिन तक "अग्रिम में लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन" चिन्हित कवर में जमा किया जा सकेगा।

उदाहरण के लिये, जुलाई माह में प्रारम्भ होने वाले उन्मुक्त अभिगमन के प्रदान किये जाने के लिये आवेदन 15 जून तक प्राप्त किये जायेंगे।

(iv) नोडल एजेन्सी "पावती स्वीकृति" पर समय और तिथि इंगित कर आवेदन की प्राप्ति अभिस्वीकृत करेगी।

(v) उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग करने के लिये आशयित वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता अपने आवेदन की एक प्रति वितरण अनुज्ञापी को प्रस्तुत करेगा।

(vi) संव्यवहार के प्रकार के आधार पर नोडल एजेन्सी यहां नीचे उपबंधित तरीके से लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदनों पर निर्णय लेगी।

(vii) ऊपर उप–खण्ड (iii) के प्राप्त सभी आवेदन एक साथ विचार हेतु लिये जायेंगे और इन विनियमों के विनियम 18 के अधीन विनिर्दिष्ट पूर्विकता मानदंड के अनुसार उनका प्रक्रमण किया जायेगा।

(viii) नोडल एजेन्सी संव्यवहार में संलग्न पारेषण और वितरण के किसी अवयव (लाईन और ट्रांसफार्मर) की संकुलता हेतु संव्यवहार की जांच करेगी।

(ix) नोडल एजेन्सी ग्राहक को भुगतान की अनुसूची के साथ प्रारूप (प्रारूप–एस0टी0 2) में उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने या अन्यथा को ऐसी पूर्ववर्ती माह के अधिकतम 19 वें दिन तक संप्रेषित करेगी।

(x) यदि उप–खण्ड (ix) के अधीन उन्मुक्त अभिगमन अस्वीकृत किया जाता है तो नोडल एजेन्सी विशिष्ट कारण प्रदान करेगी।

(b) अग्रिम में उन्मुक्त अभिगमन हेतु बोली प्रक्रिया –

(i) यदि आगामी माह हेतु अग्रिम में उन्मुक्त अभिगमन हेतु ग्राहकों द्वारा मांगी गई क्षमता उपलब्ध क्षमता से अधिक है या एस0एल0डी0सी0, संव्यवहार में संलग्न पारेषण और वितरण प्रणाली की कोई संकुलता समझती है तो आबंटन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) संभावित संकुलता के संबंध में एल0एल0डी0सी0 का निर्णय अंतिम और बन्धकारी होगा।

(iii) एल0एल0डी0सी0 आवेदक को प्रारूप (प्रारूप एस0टी0–3) में निम्नतम मूल्य इंगित करते हुए संकुलता और बोली आमंत्रण हेतु निर्णय की सूचना प्रदान करेगी।

(iv) एल0एल0डी0सी0 अपनी वेबसाईट पर भी बोली की जानकारी प्रदर्शित करेगी।

(v) आयोग के सुसंगत आदेश के आधार पर अवधारित पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों का निम्नतम मूल्य प्रारूप–एस0टी0–3 में इंगित किया जायेगा।

(vi) बोली आमंत्रण प्रारूप–एस0टी0–3 में दिये गये "बोली समाप्ति समय" तक प्रारूप (प्रारूप–एस0टी0–4) में स्वीकार किये जायेंगे।

(vii) एक बार जमा कर दिये जाने के पश्चात् बोली में किसी आशोधन/संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(viii) एल0एल0डी0सी0, बोलियां जमा करने के लिये समय/तिथि के विस्तार हेतु किसी निवेदन पर विचार नहीं करेगा।

(ix) बोलीदाता उस अंकित मूल्य जिस पर निम्नतम मूल्य अवधारित किया गया है पर मूल्य (पूर्णांकित) कोट करेंगे।

(x) कोट किये गये मूल्य अवरोही क्रम में रखे जायेंगे और उपलब्ध क्षमताओं का आबंटन उपलब्ध क्षमता के समाप्त हो जाने तक ऐसे अवरोही क्रम में रखा जायेगा।

(xi) दो या इससे अधिक ग्राहकों द्वारा एक समान मूल्य कोट किये जाने पर ऊपर उप–खण्ड (ix) के अधीन किसी अवशिष्ट उपलब्ध क्षमता से आबंटन ऐसे ग्राहक द्वारा चाही जा रही क्षमता के अनुपात में किया जायेगा।

(xii) ऐसे सभी ग्राहक जिनके पक्ष में पूर्ण क्षमता आबंटित की गई है, बोली से प्राप्त उच्चतम मूल्य का भुगतान करेंगे।

(xiii) वे ग्राहक जिन्हें कम क्षमता आबंटित की गई है, उनके द्वारा कोट किये गये मूल्य का भुगतान करेंगे।

(xiv) एस0एल0डी0सी0 उन बोलियों को अस्वीकार करेगी जो अपूर्ण है, अस्पष्ट हैं या बोली प्रक्रिया की पुष्टिकारक नहीं है।

(xv) सफल बोलीदाता, जिसके पक्ष में क्षमताएं आबंटित की गई हैं, इस खण्ड के उप–खण्ड (xii) या (xiii)के अधीन बोली द्वारा अवधारित, यथास्थिति, पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार का भुगतान करेगा।

(c) आगामी दिवस उन्मुक्त अभिगमन

(i) आगामी दिवस उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिए आवेदन नोडल एजेन्सी द्वारा, अनुसूचीकरण की तिथि से पूर्व तीन दिन के भीतर किंतु आगामी संव्यवहार हेतु अनुसूचीकरण के ठीक पहले दिन के 1300 बजे से पहले तक प्राप्त किया जोयगा।

(ii) उदाहरण के लिए जुलाई के 25वें दिन पर आगामी संव्यवहार हेतु आवेदन उस माह में 22वें दिन या 23वें दिन या 24वें दिन 1300 बजे तक प्राप्त किया जायेगा।

(iii) नोडल एजेन्सी संकुलता हेतु जांच करेगा और ऊपर खण्ड (a)के उप–खण्ड (ix) में उपबंधित किये गये अनुसार प्रारूप (प्रारूप एस0टी0–2) में अनुमोदन प्रदान करने अथवा अन्यथा हेतु सूचना प्रदान करेगी। अन्य सभी लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन के उपबंध लागू होंगे।

(d) आकस्मिकता में समय–निर्धारण के सौदे हेतु प्रक्रिया

आकस्मिकता के समय एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, पिछले दिन के 13:00 बजे की कट ऑफ सीमा के पश्चात् भी लघु–अवधि आकस्मिकता आवश्यकता पूरी करने के लिये ऊर्जा का स्रोत खोज सकता है तथा उन्मुक्त अभिगमन और अनुसूचीकरण हेतु नोडल एजेन्सी को आवेदन कर सकता है तथा ऐसी दशा में, नोडल एजेन्सी विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार यथा शीघ्र और व्यवहार्य सीमा तक ऐसे निवेदन को पूरा करने का प्रयास करेगी।

(e) एक लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा अनुमोदित क्षमता किसी अन्य को हस्तांतरणीय नहीं है।

(f) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुमोदित क्षमता के अभ्यर्पण, उस में कमी या उसके रद्द होने के परिणाम स्वरूप उपलब्ध क्षमता को इन विनियमों के अनुसार किसी अन्य लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के लिये आरक्षित किया जा सकता है।

(g) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन की अवधि के समाप्त होने पर लघु–अवधि ग्राहक, अवधि की नवीनीकरण हेतु किसी अध्यारोही पूर्विकता का हकदार नहीं होगा।

(3) **केवल वितरण प्रणाली को सम्मिलित करना**

लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन के ऐसे मामलों में जहां इन्जेक्शन का बिन्दु और निकासी का निकासी बिन्दु वितरण प्रणाली में अवस्थित है, वहां नोडल एजेन्सी वितरण अनुज्ञापी होगा और ऊपर उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

16. **उन्मुक्त अभिगमन हेतु एस0टी0यू0/एस0एल0डी0सी0 द्वारा सहमति**

(1) **अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए**

दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के मामले में एस0टी0यू0 और लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के मामले में एस0एल0डी0सी0 क्रमशः समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तगर्राज्यीय पारेषण में संयोजन दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करना तथा संबंधित मामले) अधिनियम, 2009 और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में उन्मुक्त अभिगमन) विनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार सहमति अथवा अन्यथा, सूचित करेंगे।

(2) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सम्मिलित किये बिना

(a) राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु सहमति मांगने के आवेदन का प्रक्रमण करते समय नोडल एजेन्सी निम्नलिखित का सत्यापन करेगी, अर्थात :

(i) प्रवृत्त राज्य ग्रिड संहिता के उपबन्धों के अनुसार टाईम–ब्लॉक वाईज ऊर्जा की मीटरिंग के लिये आवश्यक अवसंरचना की विद्यमानता।

(ii) पारेषण और/या वितरण नेटवर्क में क्षमता की उपलब्धता।

(iii) एस0एल0डी0सी0 को रियल टाईम डाटा पारेषित करने के लिये आर0टी0यू0 और संसूचना सुविधा की उपलब्धता।

(b) जहां पारेषण और/या वितरण नेटवर्क में आवश्यक अवसंरचना और क्षमता की उपलब्धता की विद्यमानता स्थापित कर ली गई है, वहां नोडल एजेन्सी, दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम और लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु विनियम 12 की सारिणी में विनिर्दिष्ट अवधियों के भीतर ई–मेल या फैक्स या संसूचना में किसी अन्य सामान्यतया मान्य माध्यम द्वारा अपनी सहमति की सूचना देगी।

(c) यदि नोडल एजेन्सी द्वारा यह पाया जाता है कि सहमति हेतु आवेदन किसी संबंध में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है तो वह लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन प्राप्त होने के दो (2) कार्य दिवसों और दीर्घावधि अभिगमन तथा मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु सात (7) कार्य दिवसों के भीतर ई–मेल या फैक्स या किसी अन्य सामान्यतया मान्य संसूचना के माध्यम द्वारा आवेदक को उस कमी या त्रुटि की सूचना देगी।

(d) यदि आवेदन व्यवस्थित पाया जाता है किन्तु नोडल एजेन्सी आवश्यक अवसंरचना न होने और पारेषण/वितरण नेटवर्क में अधिशेष क्षमता की अनुपलब्धता के आधार पर सहमति प्रदान करने से इन्कार करती है तो इस इन्कार को इसके कारणों के साथ दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम और लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु विनियम 12 की सारिणी में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर आवेदक को ई–मेल या फैक्स या संसूचना के किसी अन्य सामान्यतया मान्य माध्यमों द्वारा संसूचित किया जयेगा।

(e) जहां नोडल एजेन्सी ने आवेदन में कोई कमी या त्रुटि लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन प्राप्ति से दो (2) कार्य दिवसों के भीतर और दीर्घावधि अभिगमन व मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु सात (7) कार्य दिवसों के भीतर इन्कार या सहमति संसूचित नहीं की है वहां सहमति प्रदान कर दी गई मानी जायेगी।

(3) केवल वितरण प्रणाली को संलग्न करना :

ऊपर उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तन सहित, राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के लिए सहमति चाह रहे आवेदक पर लागू होगी जब इन्जेक्शन का बिन्दु और निकासी का बिन्दु एक ही वितरण प्रणाली में अवस्थित हो।

17. **व्यतिक्रमियों से आवेदनों का विचार**

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी नोडल एजेन्सी इन विनियमों के उपबन्धों, विशिष्ट रूप से इसमें उदग्रहणीय प्रभारों के समय पर भुगतान से संबंधित उपबंधों के अनानुपालन के आधार पर उन्मुक्त अभिगमन हेतु एक आवेदन पूरी तरह अस्वीकार करने के लिये स्वतन्त्र होगी।

18. **आबंटन प्राथमिकता**

(1) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन के आबंटन हेतु प्राथमिकता निम्नलिखित मानदण्डों पर निर्धारित की जायेगी।

(a) वितरण अनुज्ञापी को, बिना इस बात का विचार किये कि उन्मुक्त अभिगमन निवेदन दीर्घावधि, मध्यम अवधि या लघु अवधि के लिये है, उन्मुक्त अभिगमन क्षमता के आबंटन में प्राथमिकता प्राप्त होगी।

(b) दीर्घावधि अभिगमन आवेदकों को वितरण अनुज्ञापी के पश्चात् अगली प्राथमिकता होगी।

(c) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदकों को दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदकों के पश्चात् अगली प्राथमिकता होगी।

(d) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदकों को मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के पश्चात् अगली प्राथमिकता होगी।

(e) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदकों के लिये आबंटन प्राथमिकता क्षमता की उपलब्धता के अधीन निर्धारित की जायेगी।

(f) एक वर्तमान उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को संबंधित श्रेणी के अधीन, नये उन्मुक्त अभिगमन आवेदक से ऊंची प्राथमिकता प्राप्त होगी बशर्ते कि पहले वाला आवेदक उन्मुक्त अभिगमन की वर्तमान अवधि की समाप्ति से तीस दिन पहले इसके नवीनीकरण हेतु आवेदन करे।

(g) जब एक आवेदक द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकता उपलब्ध क्षमता से अधिक है और उक्त आवेदक उपलब्ध क्षमता तक अपनी आवश्यकता को सीमित करने में समर्थ नहीं है, तो इस से निचली प्राथमिकता वाले आवेदक के निवेदन पर विचार किया जायेगा।

अध्याय –5

उन्मुक्त अभिगमन प्रभार

19. **अन्तः स्थापित ओ0ए0 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में निकासी बिन्दु पर ऊर्जा की व्यवस्था**

(1) किसी 15 मिनट टाईम ब्लॉक के लिये अनुसूचित निकासी (मेगावॉट में) सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित पारेषण और वितरण हानियों का समायोजन करने के पश्चात् उस ब्लॉक के लिये अनुमोदित क्षमता (मेगावॉट में) के आधार पर ज्ञात की जायेगी।

(2) ऊपर उप–विनियम (1) में ज्ञात अनुसूचित निकासी के आधार पर परिकलित वास्तविक रिकॉर्डेड ऊर्जा (kVAh में) और अनुसूचित ऊर्जा (kVAh में) का न्यूनतम, उन्मुक्त अभिगमन के अधीन निकासी की गई ऊर्जा की मात्रा के रूप में समझी जायेगी। उन्मुक्त अभिगमन के अधीन निकासी की गई ऊर्जा की ऐसी मात्रा को बिलिंग के प्रयोजन से डे ब्लॉक के प्रत्येक समय हेतु मीटर में रिकार्ड की गई ऊर्जा के मासिक उपभोग से समायोजित किया जायेगा।

20. पारेषण प्रभार एवं व्हीलिंग प्रभार

(1) पारेषण प्रभार

पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक नीचे दिये गये अनुसार प्रभारों का भुगतान करेंगे:

(a) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु समय–समय पर केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार

(b) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु – अपनी प्रणाली के उपयोग हेतु एस0टी0यू0 को एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा देय पारेषण प्रभार नीचे दिये गये अनुसार अवधारित किये जायेंगे :

पारेषण प्रभार = $ATC/(PLS_T \times 365)$(Rs. /MW/ डे)

जहां,

ATC = सुसंगत वर्ष हेतु राज्य पारेषण प्रणाली हेतु आयोग द्वारा अवधारित वार्षिक पारेषण प्रभार

PLS_T = पिछले वर्ष में राज्य पारेषण प्रणाली द्वारा सेवित पीक लोड

परन्तु पारेषण प्रभार अनुमोदित क्षमता के आधार पर देय होंगे।

परन्तु यह भी कि उन्मुक्त अभिगमन हेतु, दिन के एक भाग के लिये पारेषण प्रभार निम्न लिखित अनुसार उद्ग्रहित होंगे :

(i) दिन में 6 घंटे तक : ऊपर उप–विनियम (1)(b) में अवधारित पारेषण प्रभारों का 1/2

(ii) दिन में 6 घंटे से अधिक : ऊपर उप–विनियम (1)(b) में अवधारित पारेषण प्रभारों के बराबर

परन्तु आगे यह कि जहां पारेषण प्रणाली जिसमें उन्मुक्त अभिगमन हेतु उपयोग की गई डेडीकेटेड पारेषण प्रणाली का निर्माण सम्मिलित है, का संवर्धन अनन्य रूप से उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के उपयोग हेतु या अनन्य रूप से उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा किया जा रहा है वहां डेडिकेटेड प्रणाली सहित ऐसे संवर्धन हेतु पारेषण प्रभार, अपनी प्रणाली हेतु एस0टी0यू0 द्वारा ज्ञात किये जायेंगे तथा उन्हें आयोग से अनुमोदित करवाया जायेगा और अन्य उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों हेतु अधिशेष क्षमता का आबंटन और उनके द्वारा उपयोग किये जाने तक ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा पूर्णरूप से वहन किये जायेंगे, इसके पश्चात् उपरोक्त प्रणाली की लागत उनको आबंटित उन्मुक्त अभिगमन क्षमता पर निर्भर करते हुए अनुपाततः रूप में शेयर की जायेगी।

(2) व्हीलिंग प्रभार

अपनी प्रणाली के उपयोगों हेतु एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा वितरण अनुज्ञापी को देय व्हीलिंग प्रभार निम्नलिखित रूप से अवधारित किये जायेंगे:

व्हीलिंग प्रभार = (ARR – PPC - TC) / (PLS_D x 365) (Rs. /MW/ डे)

जहां,

ARR = सुसंगत वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता

PPC = सुसंगत वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी की कुल ऊर्जा क्रय लागत

TC = सुसंगत वर्ष हेतु राज्य और अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिये वितरण अनुज्ञापी द्वारा भुगतान किये गये कुल पारेषण प्रभार

PLS_D = पिछले वर्ष के लिये संबंधित वितरण प्रणाली द्वारा सेवित कुल पीक लोड

परन्तु अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, आयोग द्वारा अवधारित व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान निम्नलिखित तरीके से करेगा :

$WC_{\text{अन्तः स्थापित उपभोक्ता}}$ = WC [WC*0.85*12*1000/365] (Rs. /MW/ डे)

जहां,

$WC_{\text{अन्तः स्थापित उपभोक्ता}}$ = अन्तःस्थापित उपभोक्ताओं के लिये शुद्ध व्हीलिंग प्रभार

WC = इन विनियमों के अध्याय 5 में समावेशित विनियम 20 (2) में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित व्हीलिंग प्रभार

FC = सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में अनुमोदित दर अनुसूची के अनुसार रू0/किलोवॉट एम्पीयर/माह में स्थिर मांग प्रभार, kVA के KW में परिवर्तन के प्रयोजन से 0.85 का ऊर्जा कारक लिया गया है।

नोट : यदि ऊपर ज्ञात किये गये अन्तः स्थापित उपभोक्ता हेतु व्हीलिंग प्रभार नकारात्मक हो जाते हैं तो ऐसे प्रभार शून्य होंगे।

परन्तु व्हीलिंग प्रभार अनुमोदित क्षमता के आधार पर देय होंगे।

परन्तु उन्मुक्त अभिगमन हेतु, दिन के एक भाग के लिए व्हीलिंग प्रभार निम्न लिखित अनुसार उदग्रहित किये जायेंगे :

(i) दिन में 6 घंटे तक : ऊपर उप–विनियम (2) में अवधारित लागू व्हीलिंग प्रभार का 1/2।

(ii) दिन में 6 घंटे से अधिक : ऊपर उप–विनियम (2) में अवधारित लागू व्हीलिंग प्रभार के बराबर।

परन्तु आगे यह कि जहां एक उन्मुक्त अभिगमन हेतु उपयोग की जाने वाली डेडीकेटेड वितरण प्रणाली एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के अनन्य उपयोग हेतु निर्मित की गई है वहां ऐसी डेडिकेटेड प्रणाली हेतु व्हीलिंग प्रभार, अपनी संबंधित प्रणाली हेतु वितरण अनुज्ञापी द्वारा ज्ञात किये जायेंगे और उन्हें आयोग से अनुमोदित करवाया जायेगा तथा उन्हें अन्य अन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के लिये अधिशेष क्षमता का आबंटन और उनके द्वारा पूर्ण रूप से वहन किये जायेंगे, इसके पश्चात् उपरोक्त

प्रणाली की लागत का, उनको आबंटित उन्मुक्त अभिगमन क्षमता पर निर्भर करते हुए अनुपाततः रूप में शेयर किया जायेगा।

परन्तु आगे यह कि 132 किलोवॉट और इससे ऊपर के वोल्टेज स्तरों पर पारेषण प्रणाली से संयोजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता पर व्हीलिंग प्रभार नहीं लगाये जायेंगे।

21. एस.एल.डी.सी. और प्रणाली प्रचालन प्रभार

एस.एल.डी.सी. और प्रणाली प्रचालन प्रभार उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा निम्नलिखित दरों पर देय होगीः

(1) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से संलग्न संव्यवहार

(a) दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) अधिनियम की धारा 28(4) के अधीन केन्द्रीय अयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय भारप्रेषण केन्द्र फीस और प्रभार जिसमें एकीकृत भार प्रेषण और संसूचना योजना हेतु प्रभार सम्मिलित है।

(ii) अधिनियम की धारा 32 की उप–धारा (3) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार

(b) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन

केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रणाली प्रचालन प्रभार

(2) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को संलग्न न करते हुए संव्यवहार

(a) दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक अधिनियम की धारा 32 की उप–धारा (3) के अधीन आयोग द्वारा अवधारित एस.एल.डी.सी. प्रभारों का भुगतान करने के लिए दायी होगें।

(b) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन

समय–समय पर आयोग द्वारा अवधारित ज्ञाप में प्रत्येक संव्यवहार हेतु एक लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा एस.एल.डी.सी. को प्रणाली प्रभार प्रतिदिन या उस से भाग हेतु देय होगा।

(स्पष्टीकरण : प्रणाली प्रचालन प्रभार के अनुसूचीकरण और प्रणाली प्रचालन, ऊर्जा लेखाकरण हेतु फीस, सद्भावी आधार पर अनुसूची में संशोधन लाने के लिए फीस और प्रभारों का संचयन व संवितरण सम्मिलित है)

22. प्रति–सहायिकी अधिभार

(1) अन्तःसंयोजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, पारेषण और/या व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त आयोग द्वारा अवधारित प्रति सहायिकी अधिभार का भुगतान करेंगे। प्रति यूनिट आधार पर अवधारित प्रति सहायिकी अधिभार, उन्मुक्त अभिगमन द्वारा माह के दौरान निकासी की गई वास्तविक ऊर्जा के आधार पर ऐसे उपभोक्ता द्वारा प्रति माह देय होगा। अधिभार की राशि का भुगतान वितरण अनुज्ञापी को दिया जायेगा।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी द्वारा की गई पावर–कट की अवधि में, उन्मुक्त अभिगमन द्वारा, ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा निकासी की गई ऊर्जा पर कोई प्रति–सहायिकी अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

आगे यह भी कि यह अधिभार दीर्घावधि/मध्यम–अवधि किसी ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक और व्यक्ति पर नहीं लगाया जायेगा जिसने अपने स्वयं के उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हो।

परन्तु यह भी कि यदि उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की स्थिति या भार में कोई अधिक परिवर्तन आता है तो आयोग जैसे ही और जब आवश्यक हो प्रति सहायिकी अधिभार की समीक्षा कर सकता है।

(2) ऐसे लघु–अवधि उन्युक्त अभिगयन उपभोक्ताओं के लिये प्रति सहायिकी अधिभार निम्नलिखित के अनुसार अवधारित किये जायेंगें।

अधिभार फॉर्मूला :

एस = टी – सी

जहां,

एस – प्रतिसहायिकी अधिभार है

टी – ऐसे उपभोक्ताओं की सुसंगत श्रेणी द्वारा देय खुदरा शुल्क है

सी – वितरण अनुज्ञापी की आपूर्ति की औसत लागत है।

23. अतिरिक्त अधिभार

(1) अपने आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञापी से अन्यथा किसी व्यक्ति से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने वाला एक उपभोक्ता वितरण, अनुज्ञापी को अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (4) के अधीन उपबंधित आपूर्ति अपने दायित्व से उत्पन्न ऐसे वितरण अनुज्ञापी की स्थिर लागत को पूरा करने के लिए व्हीलिंग प्रभार और प्रतिसहायिकी अधिभार के अतिरिक्त व्हीलिंग के प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करेगा।

(2) यह अतिरिक्त अधिभार केवल तभी लागू होगा जब ऊर्जा क्रय दायित्व के संबंध में अनुज्ञापी का दयित्व अटका हुआ है और अटके रहना जारी है या ऐसी संविदा के परिणाम स्वरूप स्थिर लागतें वहन करने के एक अपरिहार्य दायित्व और भार है। तथापि, नेटवर्क आस्तियों से संबंधित स्थिर लागतें व्हीलिंग प्रभारों के माध्यम से वसूल की जायेंगी।

(3) वितरण अनुज्ञापी प्रति छः माह के आधार पर आयोग के पास स्थिर लागत का विस्तृत परिकलन विवरण जमा करेगा जो कि आपूर्ति से अपने दायित्व हेतु अनुज्ञापी वहन कर रहा है।

आयोग, वितरण अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये स्थिर लागत के परिकलन के विवरण की समीक्षा करेगा और आपत्तियां यदि कोई है, प्राप्त करेगा तथा अतिरिक्त अधिभार की राशि अवधारित करेगा।

परन्तु आयोग द्वारा इस प्रकार अवधारित किया गया अतिरिक्त प्रभार सभी उन्मुक्त उपभोक्ताओं पर भावी आधार पर लागू होगा।

(4) प्रति यूनिट आधार पर अवधारित अतिरिक्त अधिभार, उन्मुक्त अभिगमन द्वारा माह के दौरान निकासी की गई वास्तविक ऊर्जा के आधार पर उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं द्वारा मासिक आधार पर देय होगा।

परन्तु यह अतिरिक्त भार ऐसे मामलों में नहीं लगाया जायेगा जहां वितरण अभिगमन ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने अपने स्वंय के उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

24. वितरण अनुज्ञापी से उन्मुक्त अभिगमन द्वारा ऊर्जा की निकासी हेतु स्टैंड–बाय प्रभार

(1) उत्पादक के आउटेजेज के ऐसे मामलों में जहां उन्मुक्त अभिगमन के अधीन ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है जो अनुज्ञापी का उपभोक्ता नहीं है वहां अनुज्ञापी के

उपभोक्ताओं पर लागू लोड शैडिंग के अधीन वितरण अनुज्ञापी द्वारा स्टैंड व्यवस्था प्रदान की जायेगी और अनुज्ञापी प्रचलित दर अनुसूची में उपभोक्ता की उस श्रेणी हेतु प्रभार की अस्थायी दर के अधीन शुल्क एकत्रित करने के लिये हकदार होगा।

परन्तु, यदि ऐसा ग्राहक वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता है तो अनुज्ञापी, प्रचलित दर अनुसूची के उपभोक्ता की उस श्रेणी हेतु प्रभार की दर के अधीन शुल्क एकत्रित करने के लिए हकदार होगा।

परन्तु आगे यह कि यदि उन्मुक्त अभिगमन द्वारा ऊर्जा इंजेक्ट करने वाली वितरण प्रणाली से संयोजित एवं उत्पादक को स्टार्टअप ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऐसी ऊर्जा की दर वही होगी जो कि इन विनियमों के विनियम 6 (8) में उपबंधित अशक्त ऊर्जा की है।

परन्तु यह भी कि एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के पास किसी स्रोत से स्टैंड बाय ऊर्जा की व्यवस्था करने का विकल्प रहेगा।

25. अन्य प्रभार

संकुलन प्रभार और कोई अन्य प्रभार, जब कभी केन्द्रीय आयोग और/या राज्य आयोग द्वारा लगाये जायें, सभी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहको द्वारा देय होंगे।

अध्याय – 6

अनुसूचीकरण, मीटरिंग, पुनरीक्षण और हानियां

26. अनुसूचीकरण

(1) इन विनियमों के उत्तरवर्ती उप–विनियम में समावेशित किसी बात के होते हुए भी अन्तर्राज्यीय उन्मुक्त अभिगमन संव्यवहार का अनुसूचीकरण केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार होगा।

(2) पूर्वगामी खण्ड के अधीन, क्षमता का विचार किये बिना सभी ग्राहकों और उत्पादक स्टेशनों के संबंध में राज्यन्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन संव्यवहार, राज्य ग्रिड संहिता के उपबंधो के अनुसार एस.एल.डी.सी. द्वारा अनुसूचित किये जायेंगे।

27. मीटरिंग

(1) सभी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों, वर्तमान और नये जिनमें उत्पादक स्टेशन्स भी सम्मिलित है, को उनकी क्षमता का विचार बिना उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की लागत पर उनके लिये वितरण अनुज्ञापी द्वारा ए0बी0टी0 अनुकूल विशेष ऊर्जा मीटर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(2) वितरण अनुज्ञापी अपनी स्वयं की लागत पर मेन मीटर के ही विनिर्देशों वाले चैक मीटर उपलब्ध करवायेगा।

परन्तु मेन और चैक ए0बी0टी0 अनुकूल मीटर, लागू रूप में वितरण/पारेषण अनुज्ञापी द्वारा अधिसूचित आपूर्तिकर्ताओं से भी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा प्राप्त किये जा सकते है, तथापि, चैक मीटर की लागत, ग्राहकों के उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों में समायोजन द्वारा वापस की जायेगी।

परन्तु उन्मुक्त अभिगमन, वर्तमान मीटरिंग व्यवस्था पर इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से तीन

माह की अवधि तक अनुमन्य रहेगा। उसके पश्चात ए0बी0टी0 अनुकूल मेन और चैक मीटर्स से संबंधित उपरोक्त उपबंध आज्ञापरक हो जायेंगे।

(3) संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटर, राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार समय–ब्लॉक–वार सक्रिय ऊर्जा हेतु समय–भिन्निता माप और रिएक्टिव ऊर्जा के वोल्टेज भिन्निता माप के योग्य होंगे।

(4) विशेष ऊर्जा मीटर्स सदैव अच्छी स्थिति में अनुरक्षित रखे जायेंगे।

(5) विशेष ऊर्जा मीटर्स, एस0टी0यू0/वितरण अनुज्ञापी/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे।

(6) सभी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक सी0ई0ए0 के मीटरिंग मानकों के पाबन्द रहेंगे।

28. पुनरीक्षण :

अनुसूचित ऊर्जा का पुनरीक्षण, यथास्थिति, राज्य के आई0ई0जी0सी0 या राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार अनुमन्य होगा।

29. हानियाँ :

(1) **पारेषण हानियां :** प्रणाली पारेषण हानियां सभी उन्मुक्त ग्राहकों द्वारा वस्तु के रूप में देय होंगी।

(a) अन्तर्राज्यीय पारेषण

(i) दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन क्रेता, केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिश्ट विनियमों के उपबन्धों के अनुसार पारेषण प्रणाली में प्रभाजित ऊर्जा हानियों को वहन करेंगे।

(ii) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन

क्रेता और विक्रेता केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के उपबन्धों के अनुसार पारेषण प्रणाली में प्रभाजित ऊर्जा हानियों को वहन करेंगे।

(b) राज्यान्तर्गत पारेषण

(i) सुसंगत वर्ष हेतु अपने शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित राज्यान्तर्गत प्रणाली हेतु पारेषण हानियाँ उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा वस्तु के रूप में देय होंगी।

(2) **वितरण हानियाँ :** सुसंगत वर्ष हेतु अपने शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित प्रणाली वितरण हानियां, उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा वस्तु रूपमें देय होंगी।

अध्याय–7

असंतुलन और रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार

30. असंतुलन प्रभार :

(1) दीर्घावधि अभिगमन या मध्यम अवधि अभिगमन या लघुअवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के अनुसरण में सभी संव्यवहार, अन्तर्राज्यीय संव्यवहार हेतु आई0ई0जी0सी0 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार और राज्यान्तर्गत संव्यवहार हेतु राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार आगामी दिन आधार पर किये जायेंगे।

(2) वास्तविक रिकॉर्डेड ऊर्जा और अनुसूचित ऊर्जा प्रत्येक 15 मिनट के टाईम ब्लॉक हेतु रिकार्ड/एकाउन्टेड की जायेगी। इन दोनों के मध्य किसी अंतर के मामले में निम्न लिखित लागू होगा:

(a) जब उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता नहीं है:

(i) ऐसे उपभोक्ता द्वारा अति निकासी करने पर

वितरण अनुज्ञापी को ऐसें उपभोक्ता द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष हेतु अपने शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित एच0टी0 उद्योग उपभोक्ताओं की औसत बिलिंग दर के समकक्ष होंगे।

(ii) वितरण प्रणाली और/या पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण उपभोक्ता द्वारा कम निकासी किये जाने पर

ऐसे उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञापी द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष के शुल्क आदेश में प्रक्षेपित वितरण अनुज्ञापी की औसत ऊर्जा क्रय लागत के बराबर होंगे।

(b) जब उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता है :

(i) संविदाकृत भार के भीतर अधिकतम मांग के अधीन अति निकासी होने पर

वितरण अनुज्ञापी को ऐसे उपभोक्ता द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष के शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित लागू शुल्क दरों के बराबर होंगे।

(ii) संविदाकृत भार से अधिक अधिकतम मांग के अधीन अति निकासी होने पर।

वितरण अनुज्ञापी को ऐसे उपभोक्ता द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष हेतु अपने शुल्क आदेश में उपभोक्ताओं की ऐसी श्रेणियों के लिये, आयोग द्वारा अनुमोदित अधिक मांग प्रभारों के साथ, लागू शुल्क दरों के बराबर होंगे।

(iii) वितरण प्रणाली और/या राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण कम निकासी होने पर

यदि वितरण प्रणाली और/या राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण कम निकासी हुई है तो ऐसे उपभोक्ताओं की, सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में प्रक्षेपित रूप में वितरण अनुज्ञापी की औसत ऊर्जा क्रय लागत पर वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(इस विनियम के प्रयोजन से वास्तविक रिकॉर्डेड ऊर्जा और अनुसूचित ऊर्जा का वही अर्थ होगा जैसा कि ऊपर विनियम 19 (2) में है।)

(c) जब उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक एक उत्पादक है

(i) उत्पादक पर उपारोपित कारणों से उत्पादक द्वारा कम इन्जेक्शन किये जाने पर ।

वितरण अनुज्ञापी को उत्पादक द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में प्रक्षेपित रूप में वितरण अनुज्ञापी की औसत ऊर्जा क्रय लागत पर प्रभारित किये जायेंगे।

(ii) वितरण प्रणाली और/या राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण उत्पादक द्वारा कम इन्जेक्शन किये जाने पर

उत्पादक को वितरण अनुज्ञापी द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में प्रक्षेपित रूप में वितरण अनुज्ञापी की औसत ऊर्जा क्रय लागत पर प्रभारित किये जायेंगे।

(iii) उत्पादक द्वारा अधिक इन्जेक्शन किये जाने पर

उत्पादक को वितरण अनुज्ञापी द्वारा देय असंतुलन प्रभार, सुसंगत वर्ष हेतु शुल्क आदेश में प्रक्षेपित रूप में वितरण अनुज्ञापी की औसत ऊर्जा क्रय लागत पर प्रभारित किये जायेंगे।

परन्तु अपरिहार्य घटनाओं के कारण वितरण प्रणाली और/या पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता होने पर वितरण अनुज्ञापी, इस उप–विनियम (2) के खण्ड ए–(ii), बी–(iii) एवं सी–(ii) में विनिर्दिष्ट उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों को किन्हीं असंतुलन प्रभारों के भुगतान का दायी नहीं होगा।

परन्तु आगे यह कि इस उप–विनियम (2) में उपरोक्त असंतुलन प्रभार एवं अंतरिम व्यवस्था है और यह व्यवस्था राज्य में राज्यान्तर्गत ए0बी0टी0 तंत्र के प्रचालित रहने तक लागू रहेगी, उसके पश्चात् असंतुलन/अनानुसूचित विनिमय राज्य ऊर्जा एकाउण्ट, जिसमें आयोग द्वारा जारी किये जाने पर संबंधित मामले और राज्य यू0आई0 प्रभारों के संबंध में आयोग के आदेशों के अनुसार एस0एल0डी0सी0 द्वारा जारी राज्य अनानुसूचित वितनमय (यू0आई0) प्रभार का विवरण सम्मिलित है, के आधार पर तय किया जायेगा।

(3) पारेषण/वितरण प्रणाली की अनुपलब्धता हेतु कारण सुनिश्चित करने और उन पर जिम्मेदारी तय करने के लिये एस0एल0डी0सी0 नोडल एजेन्सी होगी।

(4) असंतुलन प्रभारों के भुगतान को एक उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और संबंधित घटक (यथास्थिति अनुज्ञापियों या उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों सहित) एस0एल0डी0सी0 द्वारा प्रचालित और अनुरक्षित राज्य पूल एकॉउण्ट में, विवरण जारी किये के 10 (दस) दिन के भीतर, इंगित की गयी राशि का भुगतान करेंगे। उस व्यक्ति को, जिसे असंतुलन प्रभारों के लिये राशि प्राप्त करनी है, को तब तीन (3) कार्य दिवस के भीतर, पूल एकाउण्ट से भुगतान किया जयेगा।

(5) यदि उपरोक्त असंतुलन प्रभारों के विरूद्ध भुगतान दो दिन से अधिक, अर्थात विवरण जारी किये जाने की तिथि से बारह (12) दिन से अधिक विलंबित होता है तो पक्ष को विलंब हेतु प्रत्येक दिन के लिये 0.04% की दर से साधारण व्याज का भुगतान करना होगा इस प्रकार एकत्रित व्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा जिस को वह राशि प्राप्त करनी है जिस के भुगतान में विलम्ब हुआ है। बार–बार भुगतान में व्यतिक्रम, यदि कोई है, तो उपचारी कार्यवाई प्रारम्भ करने के लिये एस0एल0डी0सी0 द्वारा उसे आयोग को रिपोर्ट किया जायेगा।

31. रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार

उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक (अन्तःसंयोजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं को छोड़ कर) के संबंध में ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों का भुगतान, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आई0ई0जी0सी0) और राज्य ग्रिड संहिता में नियत किये गये उपबंधों के अनुसार होगा।

परन्तु आगे यह कि राज्य में ए0बी0टी0 तंत्र के प्रचालित होने के पश्चात् रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार, आयोग के आदेशों के अनुसार एस0एल0डी0सी0 द्वारा जारी राज्य रिएक्टिव ऊर्जा एकाउण्ट के आधार पर तय किये जायेंगे।

अध्याय –8

वाणिज्यिक मामले

32. बिलिंग, संग्रहण और संवितरण

इन विनियमों के अधीन देय प्रभारों के संबंध में बिलिंग निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी:

(1) अन्तर्राज्यीय संव्यवहार

(a) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन के लिये आर0एल0डी0सी0 और एस0एल0डी0सी0 को देय सी0टी0यू0 और एस0टी0यू0 प्रणालियों के उपयोग हेतु पारेषण प्रभारों तथा प्रचालन प्रभारों का संग्रहण और संवितरण, केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नोडल आर0एल0डी0सी0 द्वारा किया जायेगा तथा उसके पश्चात् यह संबंधित राशि सी0टी0यू0, एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 को संवितरित करेगा।

(ii) वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से संयोजित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक ऐसे वितरण अनुज्ञापी को, नोडल एजेन्सी द्वारा लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने से 3 दिन के भीतर वितरण अनुज्ञापी को देय व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करेगा।

(b) दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) सी0टी0यू0 और आर0एल0डी0सी0 देय फीस और प्रभार जिसमें एकीकृत भार प्रेषण और संसूचना योजना हेतु प्रभार जिसमें एकीकृत भार प्रेषण और संसूचना योजना हेतु प्रभार सम्मिलित हैं, केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होंगे।

(ii) एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 को देय प्रभारों के बिल सीधे एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 द्वारा एस0टी0यू0 से संयोजित उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को अगले कैलेंडर माह के तीसरे कार्य दिवस से पहले जारी किये जायेंगे। ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, बिलों की प्राप्ति से 5 कार्य दिवसों के भीतर एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 के बिलों का भुगतान करेंगे।

परन्तु यदि ऐसा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक वितरण प्रणाली से संयोजित है तो ऐसे बिल अगले कैलेंडर माह के तीसरे कार्य दिवस से पहले वितरण अनुज्ञापी को एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 द्वारा जारी किये जायेंगे। वितरण अनुज्ञापी एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 से बिल की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर उससे जुड़े उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को बिल जारी करेगा। उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक वितरण अनुज्ञापी से बिल की प्राप्ति से पांच दिनों के भीतर प्रभारों का भुगतान करेगा। तत्पश्चात् वितरण अनुज्ञापी मासिक आधार पर एस0टी0यू0 और एस0एल0डी0सी0 को देय राशि का संवितरण करेगा।

(2) राज्यान्तर्गत संव्यवहार

(a) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक एस0एल0डी0सी0 द्वारा लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने से 3 कार्यदिवसों के भीतर पारेषण प्रभार और प्रचालन प्रभार एस0एल0डी0सी0 के पास जमा करेगा।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से संयोजित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक एस0एल0डी0सी0 को, नोडल एजेन्सी द्वारा लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने से 3 दिन के भीतर वितरण अनुज्ञापी को देय व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान भी करेगा। ऐसे प्रभार, एस0एल0डी0सी0 द्वारा साप्ताहिक आधार पर वितरण अनुज्ञापी को संवितरित किये जायेंगे।

(b) दीर्घावधि और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) जहां लागू हो वहां एस0एल0डी0सी0, पारेषण अनुज्ञापी और वितरण अनुज्ञापी, एस0टी0यू0 को अगले कैलेंडर माह के तीसरे दिन तक उनको देय बिलों का विवरण संसूचित करेंगे। एस0टी0यू0 उपरोक्त प्रभारों को पृथक रूप से सूचित करेगी और उपरोक्त माह के 5वें दिन से पहले प्राप्ति योग्य प्रभार, यदि कोई है, के साथ उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को बिल जारी करेगी। उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता बिल की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के भीतर प्रभारों का भुगतान करेगा। एस0टी0यू0 द्वारा एस0एल0डी0सी0, पारेषण अनुज्ञापी और वितरण अनुज्ञापी को मासिक आधार पर संवितरण किया जायेगा।

33. विलंब भुगतान अधिभार

यदि इन विनियमों के अधीन देय प्रभारों, किसी का भुगतान, किसी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा देय तिथि से आगे विलंबित हो जाता है तो अधिनियम या उसके अधीन किसी विनियम के अधीन किसी कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1.25% प्रतिमाह की दर से विलंब भुगतान अधिभार लगाया जायेगा।

34. भुगतान में व्यतिक्रम

इन विनियमों के अधीन उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा देय किसी प्रभार या धनराशि का अनानुपालन माना जायेगा। एस0टी0यू0 और/या वितरण अनुज्ञापी, वाद द्वारा ऐसे प्रभारों की वसूली के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ग्राहक को पन्द्रह दिन का अग्रिम नोटिस देने के पश्चात् उन्मुक्त अभिगमन बंद कर सकता है।

आर0एल0डी0सी0 और/या एस0एल0डी0सी0 को देय प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर संबंधित भार प्रेषण केन्द्र व्यतिक्रमी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक की ऊर्जा अनुसूचित करने से इन्कार कर सकता है और संबंधित अनुज्ञापी को ऐसे ग्राहक को ग्रिड से असंयोजित करने का निर्देश दे सकता है।

35. भुगतान सुरक्षा तंत्र

दीर्घावधि अभिगमन और मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन के मामले में उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदक, ऐसे प्रभारों के संग्रहण हेतु उत्तरदायी एजेन्सी के पक्ष में दो माह की अवधि के लिये, लागू उन्मुक्त अभिगमन प्रभार की अनुमानित राशि के बराबर एक अशर्त, परिक्रामी और अप्रतिसंहरणीय प्रत्यय पत्र (एल0/सी0) खोलेगा। यह एल0/सी0 देहरादून में एक अनुसूचित बैंक में खोली जायेगी।

अध्याय –9

सूचना प्रणाली

36. सूचना प्रणाली

राज्य भार प्रेषण केन्द्र "उन्मुक्त अभिगमन सूचना" शीर्षक के साथ एक पृथक वेब पेज में अपनी वेबसाईट पर निम्न लिखित सूचना पोस्ट करेगा और साथ ही ऐसी सूचना के साथ एक मासिक और वार्षिक रिपोर्ट जारी करेगा।

(1) ग्राहक द्वारा दीर्घावधि/मध्यम अवधि/लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन पर प्रस्थिति रिपोर्ट, निम्नलिखित सूचित करते हुए :

(a) ग्राहक का नाम;

(b) प्रदान किये गये उन्मुक्त अभिगमन की अवधि (प्रारम्भ की तिथि और समाप्ति की तिथि);

(c) प्रत्येक दिवस हेतु वितरण अनुज्ञापी/यू0पी0सी0एल0 से ऊर्जा की अनुसूची
(अन्तः संयांजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू)

(d) प्रत्येक दिवस हेतु उन्मुक्त अभिगमन अवधि द्वारा ऊर्जा की अनुसूची
(अन्तः संयांजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू)

(e) इन्जेक्शन का बिन्दु;

(f) निकासी का बिन्दु;

(g) उपयोग की गई पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली, और

(h) उपयोग की गई उन्मुक्त अभिगमन क्षमता।

(2) पीक लोड प्रवाह और उपलब्ध क्षमता जिसमें ई0एच0वी0 उप–स्टेशनों से निकलने वाली सभी ई0एच0वी0 लाईनों और एच0वी0 लाईनों पर आरक्षित क्षमता सम्मिलित है।

(3) संबंधित अनुज्ञापियों द्वारा अवधारित रूप में पारेषण और वितरण प्रणाली में औसत हानि से संबंधित जानकारी।

अध्याय – 10

विविध

37. विस्तृत प्रक्रिया

एस0टी0यू0/वितरण अनुज्ञापी, इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रूप में विभिन्न कार्य–कलापों हेतु अपनी संबन्धित विस्तृत प्रक्रिया और समय सीमा नियत करेगा और उसे इन विनियमों की अधिसूचना से 3 माह के भीतर आयोग के अनुमोदन हेतु जमा करेगा।

38. राज्यान्तर्गत पारेषण और वितरण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन क्षमता का कम उपयोग या उपयोग न होना

(1) **दीर्घावधि अभिगमन :** दीर्घावधि उपभोक्ता, निम्न लिखित अनुसार, अटकी हुई क्षमता हेतु प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दीर्घावधि अभियन की पूर्ण अवधि के समाप्त होने से पहले पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दीर्घावधि अभिगमन त्याग सकता है:–

(a) दीर्घावधि ग्राहक जिसने कम से कम 12 वर्ष के लिये अभिगमन अधिकारों का उपयोग किया है।

(i) एक (1) वर्ष का नोटिस – यदि ऐसा ग्राहक उस तिथि, जिस से वह अभिगमन त्यागना चाहता है, से न्यूनतम 1 (एक) वर्ष पूर्व नोडल एजेन्सी के पास आवेदन करता है तो कोई प्रभार नहीं होंगे।

(ii) एक (1) वर्ष से कम का नोटिस – यदि ऐसा ग्राहक उस तिथि, जिस से वह अभिगमन त्यागना चाहता है, से पूर्व एक वर्ष से कम समय में नोडल एजेन्सी के पास आवेदन करता है तो ऐसा ग्राहक, एक (1) वर्ष की नोटिस अवधि से कम पड़ने वाली अवधि हेतु, अटकी हुए पारेषण और/या वितरण क्षमता के लिये अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66% के बराबर राशि का भुगतान करेगा;

(b) दीर्घावधि ग्राहक जिसने न्यूनतम 12 (बारह) वर्ष हेतु अभिगमन अधिकारों का उपयोग नहीं किया है

ऐसा ग्राहक अभिगमन अधिकारों की 12 (बारह) वर्ष से कम पड़ने वाली अवधि हेतु, अटकी हुई पारेषण और/या वितरण क्षमता के लिये अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66% के बराबर राशि का भुगतान करेगा;

परन्तु ऐसा ग्राहक उस तिथि, जिस से वह अभिगमन अधिकार त्यागना चाहता है से कम से कम 1 (एक) वर्ष पहले नोडल एजेन्सी के पास आवेदन करेगा:

परन्तु आगे यह कि यदि एक ग्राहक एक वर्ष से कम की नोटिस अवधि पर किसी समय पर दीर्घावधि–अभिगमन अधिकारो को त्यागने के लिये आवेदन करता है तो ऐसा ग्राहक एक(1) वर्ष की नोटिस अवधि से कम पड़ने वाली अवधि हेतु अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66% के बराबर राशि का भुगतान करेगा इसके अतिरिक्त उसे अभिगमन अधिकारों की 12 (बारह) वर्ष से कम पड़ने वाली अवधि हेतु अटकी हुई पारेषण और/या वितरण क्षमता के लिये अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66% के बराबर राशि का भुगतान भी करना होगा।

(c) बट्टा दर, जो ऊपर उप–विनियम (1) के खण्ड (a) एवं (b) में संदर्भित शुद्ध वर्तमान मूल्य संगणित करने के लिये लागू होगी, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु बोली प्रकिया द्वारा शुल्क के अवधारण हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार समय–समय पर जारी केन्द्रीय आयोग की अधिसूचना में बोली मूल्यांकन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली बट्टा दर होगी।

(d) अटकी हुई पारेषण और/या वितरण क्षमता हेतु दीर्घावधि ग्राहक द्वारा भुगतान की गई प्रतिपूर्ति का उपयोग, ऐसे दीर्घावधि ग्राहकों और मध्यम अवधि ग्राहकों द्वारा उस वर्ष जिस में ऐसी प्रतिपूर्ति देय है, में अन्य दीर्घावधि ग्राहकों और मध्यम अवधि ग्राहकों द्वारा देय पारेषण और/या व्हीलिंग प्रभार कम करने के लिये किया जायेगा।

(2) **मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक**

एक मध्यम अवधि उन्मुक्त अवधि ग्राहक, नोडल एजेन्सी को कम से कम 30 दिन का पूर्व नोटिस दे कर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अधिकारों को त्याग सकता है;

परन्तु अपने अधिकार त्यागने वाला मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, त्याग की अवधि या 30 दिन, दोनों मे से जो कम हो, के लिये लागू उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों का भुगतान करेगा।

(3) **लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक**

(a) अग्रिम में नोडल एजेन्सी द्वारा स्वीकार की गई लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन अनुसूची, लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा नोडल ऐजेन्सी को इस आशय का आवेदन करने पर रद्द की जा सकती है या नीचे की ओर संशोधित की जा सकती है;
परन्तु लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन अनुसूची का ऐसा रद्दकरण या नीचे की ओर संशोधित दो (2) दिन की न्यूनतम अवधि की समाप्ति से पहले प्रभावी नहीं होगा;
परन्तु आगे यह कि वह दिन, जिस दिन नोडल एजेन्सी पर अनुसूची का रद्दकरण या

नीचे की ओर संशोधन तामील किया जाता है और वह दिन, जिस दिन से ऐसा रद्दकरण या नीचे की ओर संशोधन लागू किया जाना है, को दो (2) दिनों की उवधि मे संगणन हेतु छोड़ दिया जायेगा।

(b) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन अनुसूची का रद्दकरण या नीचे की ओर संशोधन चाहने वाला व्यक्ति, नोडल एजेन्सी द्वारा मूल रूप से अनुमोदित अनुसूची के अनुसार, उस अवधि जिस के लिये यथास्थिति, रद्दकरण या नीचे की ओर संशोधन मांगा गया है, की प्रथम दो (2) दिन की अवधि हेतु तथा उसके पश्चात ऐसे रद्दकरण या नीचे की ओर संशोधन की अवधि के दौरान नोडल एजेन्सी द्वारा तैयार संशोधित अनुसूची, उन्मुक्त अभिगमन प्रभार छोड़ कर पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करेगा।

(c) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन अनुसूची का नीचे की ओर संशोधन (शून्य अनुसूची संशोधन सहित) चाहने वाला कोई व्यक्ति, उतने दिन जितने के लिये ऊर्जा अनुसूचित की गई है, के तदनुरूप इन विनियमों के अध्याय–5 में समावेशित विनियम 21 के उप विनियम (2) के खण्ड (b) में विनिर्दिष्ट अनुसूचीकरण प्रणाली प्रभारों का भुगतान करेगा तथा रद्दकरण होने पर, दो (2) दिन या दिनों में रद्दकरण की अवधि, दोनों में जो कम हो, के लिये अतिरिक्त भुगतान करेगा।

39. उन्मुक्त अभिगमन हेतु क्षमता उपलब्धता का संगठन

(1) उन्मुक्त अभिगमन हेतु उपलब्ध क्षमता, नीचे दी गई कार्यविधि अपनाते हुए STU द्वारा प्रत्येक पारेषण खण्ड के लिये और प्रत्येक उप–स्टेशन के लिये संगठित की जायेगी;

(a) पारेषण प्रणाली खण्ड की उपलब्ध उन्मुक्त अभिगमन क्षमता: = (DC-SD-AC)+NC जहां, DC = MW में पारेषण खण्ड की डिजायन की गई क्षमता, SD = खण्ड में रिकॉर्ड की गई MW में धारणीय मांग, AC = पहले से आबंटित किंतु उपयोग न की गई क्षमता MW में और NC = जोड़े जाने के लिये अपेक्षित MW में नई क्षमता;

(b) एक उप–स्टेशन की उपलब्ध उन्मुक्त अभिगमन क्षमता = (TC-SP-AC)+NC जहां, TC = उप–स्टेशन की ट्रांसफार्मर क्षमता MVA में, SP = उप–स्टेशन पीक MVA में, AC = पहले से आबंटित किंतु उपयोग न करने की क्षमता MVA में और जोड़े जाने के लिये अपेक्षित नई ट्रांसफार्मर क्षमता MVA में;

(c) STU, माह के प्रथम कैलेंडर दिन मासिक आधार पर इन मूल्यों को अद्यतन करेगी और अपनी वेबसाईट में प्रकाशित करेगी;

(2) वितरण अनुज्ञापी वितरण प्रणाली के उस भाग जिस पर उन्मुक्त अभिगमन का निवेदन किया गया है, के लिये आबंटन हेतु उपलब्ध क्षमता अवधारित करेगा।

40. कम किये जाने की प्राथमिकता

जब किसी बाध्यता के कारण अथवा अन्यथा, ग्राहकों की उन्मुक्त अभिगमन सेवा को कम करना आवश्यक हो जाता है तो राज्य ग्रिड संहिता की आवश्यकताओं के अधीन एक वितरण अनुज्ञापी का उन्मुक्त अभिगमन सबसे अंत मे कम किया जायेगा। अन्य में, लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक का अभिगमन सब से पहले कम किया जायेगा उसके पश्चात मध्यम अवधि उन्मुक्त

अभिगमन ग्राहक और उसके दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक का अभिगमन कम किया जायेगा। अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के मामले में उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों का अभिगमन कम करना CERC विनियमों के अनुसार शासित होगा। तथापि, राज्यान्तर्गत संव्यवहारों के मामले में इसका कम करना SLDC द्वारा इसके लिये संरचित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

41. **कठिनाईयां दूर करने की शक्तियां**

यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य पारेषण कंपनी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, वितरण अनुज्ञापी और उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है जैसी आयोग को कठिनाईयां दूर करने के उददेश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

लघु अवधि हेतु प्रारूप

प्रारूप – ST1

लघु – अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिये आवेदन

(SLDC के ग्राहक द्वारा जमा किया जाये)

सेवा में: उप महाप्रबंधक (SLDC),

1	ग्राहक आवेदन सं0		दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<केता/विकेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (केता/विकेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

<रजिस्ट्रेशन कूट SLDC द्वारा प्रदान किये गये अनुसार होगा >

6	संहिता के संव्यवहार पक्ष का विवरण		
		इन्जेक्टिंग कंपनी	निकासक कंपनी
	कंपनी का नाम		
	कंपनी की प्रास्थिति*		
	कंपनी जिस में यह अन्तः स्थापित है		

<*स्वामित्व के संबंध में – राज्य कंपनी/CPP/IPP/ISGS/डिस्कॉम/उपभोक्ता/यदि कोई अन्य है तो विनिर्दिष्ट करें>

7	इन्जेक्टिंग/राज्यान्तर्गत प्रणाली के साथ निकासक संयोजिता			
			इन्जेक्टिंग कंपनी	निकासक कंपनी
	उप–स्टेशन का नाम	पारेषण		
		वितरण		
	वोल्टेज स्तर	पारेषण		
		वितरण		
	अनुज्ञापी का नाम (s/s का स्वामी)			
	अन्तरित राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी			
	अन्तरित अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापी			

8	मांगा गया उन्मुक्त अभिगमन (अवधि दिनांक _____ से दिनांक _____ तक)				
	दिनांक		घंटे		क्षमता
	से	तक	से	तक	MW

9	PPA/PSA/MoU का विवरण					
	पक्षों का नाम और पता		PPA/ PSA/ MoU की तिथि	वैधता अवधि		क्षमता
	विक्रेता	क्रेता		प्रारम्भ	समाप्ति	MW

10	जमा की गई अप्रतिदेय आवेदन फीस का विवरण				
	बैंक विवरण	लिखित विवरण			राशि (रू0)
		प्रकार (ड्राफ्ट/नकद)	लिखित सं0	दिनांक	

11	मैं एतद् द्वारा SLDC को उक्त आवेदन के प्रक्रमण हेतु प्राधिकृत करता हूं, यदि आगामी दिवस अनुसूचीकरण हेतु, आबंटित उन्मुक्त अभिगमन क्षमता सुसंगत विनियमों के उपबंधों के अनुसार है।

12	घोषणा
	संव्यवहार हेतु सभी कंपनियां विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम), UERC (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 तथा समय – समय पर संशोधित कोई अन्य सुसंगत विनियम/आदेश/संहिता के उपबंधों की पाबंद रहेंगी

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम एवं पदनाम

संलग्नक

(1) डिमांड ड्राफ्ट या नकद रसीद या नोडल एजेन्सी को स्वीकार्य किसी अन्य माध्यम द्वारा अप्रतिदेय आवेदन शुल्क।
(2) संविदाकृत ऊर्जा, संव्यवहार की अवधि, निकाली पैटर्न, इन्जेक्शन और निकासी का/के बिंदु इत्यादि का उल्लेख करते हुए संव्यवहार के पक्षों (क्रेता और विक्रेता के मध्य हुए PPA/PSA/MoU की स्वतः प्रमाणित प्रति
(3) यदि कोई अन्य हों

सुसंगत संलग्नकों ऊपर (1) व (2) को छोड़ कर, के साथ निम्नलिखित को प्रति;

(1) पारेषण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक
(2) वितरण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक
(3) संव्यवहार में संलग्न पारेषण उप–स्टेशन का प्रभारी अधिकारी
(4) संव्यवहार में संलग्न वितरण उप–स्टेशन का प्रभारी अधिकारी
(5) अन्य संबंधित

SLDC के उपयोग हेतु (आवेदन के नामांकन के संदर्भ में)	
SLDC संदर्भ ID सं0	
नोडल SLDC अनुमोदन सं0	<यदि अनुमोदित हो>
या इन्कार का कारण* (यदि इन्कार किया गया हो)	

<*SLDC प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर कर इन्कार के कारणों हेतु समर्थक दस्तावेज संलग्न कर सकता है>

अभिस्वीकृति

(केवल कार्यालय उपयोग के लिये)

लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिये आवेदन

(A) <ग्राहक द्वारा भरा जाये>

1	ग्राहक आवेदन सं0		दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<केता/विकेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (केता/विकेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

<रजिस्ट्रेशन कूट SLDC द्वारा प्रदान किये गये अनुसार होगा>

आवेदन की प्राप्ति की तिथि और समय	

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम और पदनाम

.....

अभिस्वीकृति

(विधिवत भरे गये आवेदन की प्राप्ति पर SLDC द्वारा ग्राहक को तुरन्त जारी की जाये)

लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिये आवेदन

(A) <ग्राहक द्वारा भरा जाये>

1	ग्राहक आवेदन सं0		दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<केता/विकेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (केता/विकेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

<रजिस्ट्रेशन कूट SLDC द्वारा प्रदान किये गये अनुसार होगा>

(B) <SLDC द्वारा भरा जाये>

आवेदन प्राप्त किये जाने की तिथि और समय	

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम एवं पदनाम

N.B: यह प्रतिपर्ण स्कोर किया जाये और ग्राहक को जारी किया जाये

लघु अवधि हेतु प्रारूप
प्रारूप – ST2

लघु – अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु अनुमोदन

(SLDC द्वारा जारी किये जाने के लिये)

	नोडल SLDC अनुमोदन सं0		दिनांक

1	ग्राहक आवेदन सं0	<प्रारूप ST-1 में प्रदान किये गये अनुसार>	दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<केता/विकेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (केता/विकेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

6	ग्रिड के संव्यवहार पक्षों का विवरण		
		इन्जेक्टिंग कंपनी	निकासक कंपनी
	कंपनी का नाम		
	कंपनी की प्रास्थिति*		
	वह कंपनी जिस में यह अन्तः स्थापित है		

<*स्वामित्व के मामले में–कंपनी/CPP/IPP/ISGS/डिस्कॉम/उपभोक्ता का उल्लेख करें/यदि कोई अन्य है तो विनिर्दिष्ट करें>

7	राज्यान्तर्गत प्रणाली के साथ इन्जेक्टिंग/निकासक संयोजन का विवरण			
			इन्जेक्टिंग कंपनी	निकासक कंपनी
	उप–स्टेशन का नाम	पारेषण		
		वितरण		
	वोल्टेज स्तर	पारेषण		
		वितरण		
	अनुज्ञापी का नाम (s/s का स्वामी)			
	अन्तरित राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी			
	अन्तरित अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापी			

8	उन्मुक्त अभिगमन अनुमोदन (दिनांक ..... से दिनांक ..... की अवधि					पुनरीक्षण सं0	
	माह	दिनांक		घंटे		क्षमता (MW)		MWh
		से	तक	से	तक	आवेदित	आबंटित	
						कुल MWh		

9	बोली का विवरण <केवल बोली के मामले में>					
	राज्यान्तर्गत प्रणाली का विवरण	दिनांक		घंटे		लागू दर (Rs./KWh)
		से	तक	से	तक	
	पारेषण प्रणाली					
	वितरण प्रणाली					

10. अनुमोदन, UERC (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 तथा समय–समय पर संशोधित और लागू किन्हीं अन्य सुसंगत विनियम/आदेश/संहिता के अधीन है। <केवल अनुमोदन के मामले में>

11. के कारण कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा रहा है <केवल अस्वीकार करने के मामले में>

< यदि उन्मुक्त अभिगमन हेतु इन्कार किया जाता है SLDC विशिष्ट कारण प्रदान करेगा और प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर कर उसके साथ समर्थक दस्तावेज संलग्न करेगा>

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम एवं पदनाम

संलग्नक

(1) भुगतानों की अनुसूची <केवल अनुमोदन के मामले में>
(2) पारेषण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक
(3) वितरण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक
(4) संव्यवहार में संलग्न पारेषण उप–स्टेशन का प्रभारी अधिकारी
(5) संव्यवहार में संलग्न वितरण उप–स्टेशन का प्रभारी अधिकारी
(6) अन्य संबंधित

लघु अवधि हेतु प्रारूप
प्रारूप – ST2 का संलग्नक

भुगतानों की अनुसूची

(प्रारूप ST 2 के साथ SLDC द्वारा प्रत्येक माह हेतु संलग्न किया जाये)

	नोडल SLDC अनुमोदन सं0		दिनांक	

1	ग्राहक आवेदन सं0	<प्रारूप ST-1 में प्रदान किये गये अनुसार>	दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<केता/विकेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (केता/विकेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

6	लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों के लिये अस्थायी* भुगतान अनुसूची (अवधि : दिनांक ....से दिनांक .... तक)		माह	
	प्रभारीय भुगतान	दर (Rs./kWh)	MWh	Total (Rs.)
	(1) राज्यान्तर्गत नेटवर्क			
	(a) पारेषण प्रभार			
	अंतरित राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी (यदि कोई है)			
	(b) व्हीलिंग प्रभार			
	वितरण अनुज्ञापी			
	अंतरित राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी (यदि कोई है)			
	(c) अधिभार			
	वितरण अनुज्ञापी			
	(d) अतिरिक्त अधिभार			
	वितरण अनुज्ञापी			
	(e) SLDC प्रभार			
	SLDC			
	(2) अन्तर्राज्यीय नेटवर्क			
	पारेषण प्रभार			
	अंतरित राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी (यदि कोई है)			
	कुल मासिक भुगतान राशि			

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम एवं पदनाम

* आवेदन में उल्लिखित MWh के आधार पर अस्थायी जो वास्तविक प्रचालन पर परिवर्तित हो सकेगी

लघु अवधि हेतु प्रारूप
प्रारूप – ST3

संकुलन सूचना और बोली आमंत्रण

(SLDC द्वारा आमंत्रित किये जाने के लिये)

SLDC बोली आमंत्रण सं0 ..... दिनांक .....

1	ग्राहक आवेदन सं0	<प्रारूप ST-1 में प्रदान किये गये अनुसार>	दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<केता/विकेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (केता/विकेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

6. अपेक्षित संकुलन (ट्रांसफॉर्मर और विद्युत लाईन/लिंक) निम्नानुसार है

नेटवर्क कॉरीडोर		संकुलन अवधि				उपलब्ध मार्जिन/क्षमता	सभी ग्राहकों द्वारा आवेदित कुल क्षमता
ट्रांसफॉर्मर क्षमता के साथ उप–स्टेशन	क्षमता के साथ विद्युत लाईन / लिंक	दिनांक		घंटे			
		से	तक	से	तक	MW	MW
राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली							
राज्यान्तर्गत वितरण प्रणाली							
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली							

7. उपरोक्त के ध्यान में रखते हुए कृपया बोली प्रारूप (प्रारूप) में प्रदान करें। बोली का वितरण नीचे दिये गये अनुसार है;

(a) बोली आमंत्रण तिथि		समय	
(b) बोली जमा करने की तिथि		समय	
(c) बोली खुलने की तिथि		समय	

(d) बोली आमंत्रण कार्यस्थान

राज्यान्तर्गत नेटवर्क कॉरीडोर		संकुलन अवधि				बोली हेतु उपलब्ध मार्जिन/क्षमता	निम्नतय मूल्य
उप–स्टेशन	विद्युत लाईन/लिंक	दिनांक		घंटे			
		से	तक	से	तक	MW	Rs/kWh
पारेषण प्रणाली का नाम							
वितरण प्रणाली का नाम							

8. बोली जमा न होने पर आवेदन वापस ले लिया गया माना जायेगा तथा इसका प्रक्रमण नहीं किया जायेगा।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम एवं पदनाम

ग्राहकों को : उनके संदर्भ के साथ <प्रारूप ST 1 में क्रम सं0 1 में ग्राहकों द्वारा प्रदान किये गये रूप में>

लघु अवधि हेतु प्रारूप
प्रारूप – ST4

बोली प्रस्ताव

(SLDC के ग्राहक द्वारा जमा किये जाये)

संदर्भ : SLDC बोली आमंत्रण सं0 .....

दिनांक .....

सेवा में : उप महाप्रबंधक (SLDC),

1	ग्राहक आवेदन सं0	<प्रारूप ST-1 पर दिये गये अनुसार>	दिनांक	
2	संव्यवहार की अवधि			
3	ग्राहक की प्रकृति*	<केता/विकेता/कैप्टिव उपयोग कर्ता/व्यापारी (केता/विकेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		

<*ऊर्जा अन्तरण के संबंध में>

4	ग्राहक का नाम			
5	रजिस्ट्रेशन कूट		तक मान्य	

6. उपरोक्त बोली आमंत्रण के संबंध में, मैं एतद्द्वारा अपनी बोली निम्नलिखित रूप में जमा करता हूं :

द्वारा प्रदान किये गये अनुसार बोली विवरण								बोली दाता द्वारा दिया जाने वाला मूल्य
राज्यान्तर्गत नेटवर्क कॉरीडोर		संकुलन अवधि				बोली हेतु उपलब्ध मार्जिन/क्षमता	निम्नतय मूल्य	
उप–स्टेशन	विद्युत लाईन/लिंक	दिनांक		घंटे				
		से	तक	से	तक	MW	Paise /kWh	Paise/kWh
पारेषण प्रणाली का नाम								
वितरण प्रणाली का नाम								

<*बोली दाता मूल्य निम्नतय मूल्य में (पूर्णांकित) प्रदान करेगा>

7. मैं एतद्द्वारा सहमत हूँ कि अवधारित मूल्य पारेषण और या व्हीलिंग प्रभार होगा/होंगे:

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम एवं पदनाम

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

12 मई, 2015 ई0

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 744/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 /15–16/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 413/2015/141(120xxvi(8)/2008, दिनांक 08 मई, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–III के क्रमांक 1 के खण्ड (क) और (ख) में संशोधन किए जाने से अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

08 मई, 2015 ई0

संख्या 413/2015/141(120)/XXVII(8)/2008–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अत्एव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–III के क्रमांक 1 के खण्ड (क) और (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

अनुसूची–III के क्रमांक 1 के खण्ड (क) और (ख) पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात:–

क्र0सं0	माल का विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर की प्रतिशत
1.	(क) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम 1939 के अधीन यथा परिभाषित अल्कोहल सम्मिलित है, किन्तु देशी शराब एवं "उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित वाईन (wine) सम्मिलित नहीं है"	नि0 या आ0	20 प्रतिशत
	(ख) देशी शराब	नि0 या आ0	10 प्रतिशत

आज्ञा से,
राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 413/2015/141(120)/XXVII(8)/2008,** dated May 08, 2015 for general information.

NOTIFICATION

May 08, 2015

No. 413/2015/141(120)/XXVII(8)/2008--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to amend Clause (a) and (b) of serial no. 1 of Schedule-III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, with effect from the date of publication of this notification is Gazette, as follows:--

Amendment

In Schedule-III, for the existing entry at clause (a) and (b) of serial no. 1, the following entry shall be substituted; namely--

Sl. No.	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax percentage
1.	(a) Spirits and spirituous liquors of all kinds including Methyl Alcohol, Alcohol as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939 but excluding country liquors and "wine, manufactured from fruits produced in Uttarakhand State"	M or I	20 %
	(b) Country liquors	M or I	10 %

By Order,

RAKESH SHARMA,
Additional Chief Secretary.

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

13 मई, 2015 ई0

पत्रांक 777/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2015–16/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16/ओ0सी0 टिकट, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 स0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री टी0टी0के0 प्रेस्टीज लि0, प्लॉट नं0–ए1–ए2, देवभूमि इण्डस्ट्रीयल स्टेट, पुहाना इकबालपुर रोड, ग्राम बन्ताखेड़ी, रूड़की। टिन–05006346638	ओ0सी0 टिकट (10)	O.C.U.K/AA- 2009 230435 to 230444	खोने के कारण
2.	सर्वश्री पिण्डी फैब्रिक्स, दि रेमण्ड शॉप 789 मॉडल कालोनी, प्रेमनगर आश्रम के सामने हरिद्वार। टिन–05009073890	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 4189529	खोने के कारण
3.	सर्वश्री शील चन्द्र एग्रोइल्स प्रा0लि0, लालपुर किच्छा। टिन–05004553884	प्ररुप– XVI (07)	U.K.VAT-M 2012 4863324, 4863325, 1615929, 4867954, 5776297, 5785236, 4869111	खोने के कारण
4.	सर्वश्री के0बी0 इंजीनियरिंग, रूद्रपुर। टिन–05014203347	प्ररुप– XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 5815093	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, देहरादून।

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

16 मई, 2015 ई०

पत्रांक 850/आयु0क0, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2015–16/आ0घो0प0/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दू0–केन्द्रीय बिक्रीकर, (उत्तराखण्ड) नियमावली–2006 के नियम–8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी/एफ" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई हैं, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ।

क्र0 स0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री ग्लोब हाईटेक इण्डस्ट्रीज, भगवानपुर, रूड़की। टिन नं0–05008589957	(Form-C)--01	U.K.VAT-C-2009 0344124	खोने के कारण
2.	सर्वश्री जे0पी0सैकी प्लास्टिक प्रा0लि0, डी0–22 देवभूमि इण्डस्ट्रीयल स्टेट, बन्ताखेड़ी, इकबालपुर रोड़, रूड़की। टिन नं0–05008596553	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2012 0211108, 0211109	खोने के कारण
3.	सर्वश्री सुरक्षा फार्मा प्रा0लि0, खसरा नं0 410, करौंदी, रूड़की। टिन नं0–05006451010	(Form-C)--03	U.K.VAT/C-2007 0129097, 0129129, 0129130	खोने के कारण
4.	सर्वश्री प्रियंका प्रिंटिंग प्रेस, रूद्रपुर। टिन नं0–05004517412	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 0728946	खोने के कारण
5.	सर्वश्री जैट स्टार पाईप्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ढ़ालवाला, टिहरी गढ़वाल। टिन नं0–05011731302	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2007 1480604, 1480608	खोने के कारण
6.	असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–8, देहरादून।	(Form-F)--01	U.K.VAT/C-2009 0102208	मिसिंग के कारण

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

May 16, 2015

No. 850/Com.Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2015-16/D.Dun--Whereas, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "Form-C/F" enlisted below:--

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules 2006, hereby declare that "form-C/F" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes.

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/ Stolen/ Destroyed Forms	Sl.No. of Lost/Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete or invalid
1.	M/s Globe hitech Industries, Bhagwanpur Roorkee. Tin No-05008589957	(Form-C)--01	U.K.VAT-C-2009 0344124	Lost
2.	M/s JAY PEE Seiki Plastics Pvt. Ltd. D-22 Devbhoomi, Industrial Estate, Bantakheri Iqbalpur Road, Roorkee. Tin N0-05008596553	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2012 0211108, 0211109	Lost
3.	M/s Suraksha Pharma Pvt. Ltd. Kh.No. 410 Krondi, Roorkee. Tin No-05006451010	(Form-C)--03	U.K.VAT/C-2007 0129097, 0129129, 0129130	Lost
4.	M/s Priyanka Printing Press, Rudrapur. Tin No-05004517412	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 0728946	Lost
5.	M/s Jet Star Pipes, Industrial Area, Dhalwala, Tehri Garhwal. Tin No-05011731302	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2007 1480604, 1480608	Lost
6.	Assistant Commissioner, Commercial Tax, Sector-8, Dehradun	(Form-F)--01	U.K.VAT/C-2009 0102208	Missing

DILIP JAWALKAR,
Commissioner Tax, Uttarakhand.

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी

कार्यालयादेश

08 मई, 2015 ई0

पत्रांक 126/कर–पंजी0/पंजीयन निरस्त/15–वाहन सं0 UK12A 8979 (LMV CAR) की वाहन स्वामी श्रीमती नीता जोशी पत्नी स्व0 श्री अम्बिका प्रसाद जोशी, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली मार्ग श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल ने दिनांक 01–04–2015 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण संचालन योग्य नहीं रह गयी है तथा इंश्योरेंश कम्पनी द्वारा टोटल लॉस क्लेम लेने हेतु वाहन का पंजीयन निरस्त किया जाना है। अतः वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाये। वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है। वाहन सं0 UK12A 8979 (LMV CAR) का चेसिस सं0 MA3ELMG1S00169849 तथा मॉडल 2013 है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन सं0 UK12A 8979 (LMV CAR) का चेसिस संख्या MA3ELMG1S00169849 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0),
गढ़वाल संभाग, पौड़ी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

12 मई, 2015 ई0

पत्रांक 2070/टी0आर0/पंजी0नि0/यूके06आर–4090/2015–वाहन संख्या यूके06आर–4090 मॉडल 2011 चेसिस संख्या MALAA51HLBM633509A तथा इंजन संख्या G4HGBM197933 इस कार्यालय में दी ओरियेन्टर इन्श्योरैन्स कं0 लि0, 24 सिद्धू पैलेस, नैनीताल रोड रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 01–05–2015 को आवेदन कर अवगत कराया है कि वाहन मार्ग दुर्घटना में पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है, की रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। वाहन फाईनेंस से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके06आर–4090 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MALAA51HLBM633509A तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

12 मई, 2015 ई0

पत्रांक 2071/टी0आर0/पंजी0नि0/यूके06एस–5508/2015–वाहन संख्या यूके06एस–5508 मॉडल 2011 चेसिस संख्या MALAM51CLBM854992B तथा इंजन संख्या G4LABM622813 इस कार्यालय में दी ओरियेन्टर इन्श्योरैन्स कं0 लि0, 24 सिद्धू पैलेस, नैनीताल रोड रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 01–05–2015 को आवेदन कर अवगत कराया है कि वाहन मार्ग दुर्घटना में पूर्ण रूप से

क्षति ग्रस्त होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है, की रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। वाहन फाईनेंस से मुक्त है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके06एस–5508 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MALAM51CLBM854992B तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

12 मई, 2015 ई0

पत्रांक 2072/टी0आर0/पंजी0नि0/यूए06 जी–4582/2015–वाहन संख्या यूए06 जी–4582 मॉडल 2006 चेसिस संख्या 011360 तथा इंजन नं0 R6L0321837 कार्यालय में श्री बाबू राम पुत्र श्री कुन्दन लाल, निवासी वार्ड नं0 9, पी0डब्लू0डी0, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 30–04–2015 को आवेदन कर अवगत कराया है कि कि उनका वाहन तकनीकी और भौतिक रूप से अत्यन्त खराब होने के कारण मार्ग पर संचालित करने योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया है। सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है, की रिपोर्ट अंकित है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–05–2015 तक जमा है। वाहन फाईनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूए06 जी–4582 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 011360 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन),
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) काशीपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

02 मार्च, 2015 ई0

पत्रांक 334/टी0आर0/कर–पंजीयन/**UP02C-3997**–वाहन संख्या UP02C-3997 मॉडल 1996 चेसिस नं0 360324MTQ018649 इंजन नं0 697D23MTQ162395 इस कार्यालय में श्रीमती कशमीर कौर पत्नी श्री सेवा सिंह, म0 संख्या 77, पट्टी हरू, कचनाल गाजी, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाईनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तकनीकी आख्यानुसार वाहन संचालन योग्य नहीं है। वाहन स्वामी द्वारा चेसिस छाप का टुकड़ा जमा कर दिया गया है।

अतः, मैं, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग काशीपुर ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP02C-3997 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324MTQ018649 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन काशीपुर

कार्यालय आदेश

02 मार्च, 2015 ई0

पत्रांक 335/टी0आर0/कर–पंजीयन/HR47-8907–वाहन संख्या HR47-8907 मॉडल 1999 चेसिस नं0 373011BQQ702568 इंजन नं0 697D22BQQ710174 इस कार्यालय में श्री अजय कुमार मल्होत्रा पुत्र श्री मुलखराज मल्होत्रा, निवासी–म0नं0 496, गिरिताल वार्ड शिवनगर, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 02–03–2015 को इस आशय का प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकी निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है। स्थाई उत्तराखण्ड परमिट संख्या PPUC8187 निरस्त की आख्या पत्रावली के साथ संलग्न कर दी गई है।

अतः, मैं, अनिता चन्द, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, काशीपुर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या HR47-8907 (भार–वाहन) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

18 मार्च, 2015 ई0

पत्रांक 530/टी0आर0/कर–पंजीयन/HR38A-3695–वाहन संख्या HR38A-3695 मॉडल 1996 चेसिस नं0 360324MUQ011736 इंजन नं0 697D23LVQ1148784 इस कार्यालय में श्री त्रिलोक सिंह पुत्र री जीत सिंह, निवासी–ग्राम पतरामपुर, जसपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 18–03–2015 को इस आशय का प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकी निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है। स्थाई उत्तराखण्ड परमिट संख्या PPVC-6272/K/2007 निरस्त की आख्या पत्रावली के साथ संलग्न कर दी गई है।

अतः, मैं, अनिता चन्द, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, काशीपुर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या HR38A-3695 (भार–वाहन) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

अनिता चन्द,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
प्रशासन, काशीपुर।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

13 अप्रैल, 2015 ई0

पत्र पत्रांक 237/निल0–निर0/2015–निम्नलिखित चालाकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार किया जाता है:–

क्र0सं0	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	लाइसेन्स निलम्बन अवधि
1.	सुरेश प्रसाद पुत्र श्री प्रताप राम, निवासी श्यामलाताल, सुखीढांग, तहसील चम्पावत, जनपद चम्पावत	UK-0320100001028 मोटर साईकिल/हल्का/भारी वाहन एवं हिल वैधता दिनांक 11.07.2017 तक	प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर	10 के स्थान पर 18 सवारियाँ	दिनांक 10.04.2015 से दिनांक 09.07.2015 तक
2.	पीताम्बर जोशी पुत्र श्री शेखरानन्द जोशी, निवासी ग्राम पम्दा, बाराकोट, लोहाघाट, जनपद चम्पावत	UK-0320050012151 मोटर साईकिल/हल्का वैधता दिनांक 28.05.2025 तक	मा0 न्यायालय, साकेत दिल्ली/सहायक आयुक्त (यातायात) पुलिस मुख्यालय, दिल्ली	नशे का सेवन कर वाहन चलाना	दिनांक 10.04.2015 से दिनांक 09.10.2015 तक

विमल पाण्डे,
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
मोटर वाहन विभाग,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), काशीपुर

कार्यालय आदेश

27 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 565/टी0आर0/कर–पंजीयन/**HR55C-0712**–वाहन संख्या HR55C-0712 ट्रक मॉडल 2002 चेसिस नं0 373341LYZ725158 इंजन नं0 697TC45LYZ896517 इस कार्यालय में मैसर्स नेहा इण्डियन गैस एजेन्सी, निवासी काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 27–04–2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित थे। वाहन फाईनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नही रहता है।

अतः, मैं, अनिता चन्द पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग काशीपुर, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या HR55C-0712 ट्रक (ओपन बॉडी) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373341LYZ725158 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

अनिता चन्द,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
प्रशासन, काशीपुर।

उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून

विज्ञप्ति

30 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 10/उ0लो0से0अधि0/IV/72/सा0प्रशा0/iv/2015–श्री धर्म सिंह, निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून को शासनादेश संख्या 54–एक(1)/XXXVI(1)/2006-6-एक(2)/06, न्याय अनुभाग–1, देहरादून दिनांक 25 अगस्त, 2006 के अनुसार दिनांक 04–08–2012 से दिनांक 03–08–2014 तक की एक ब्लॉक अवधि हेतु एक माह का अर्जित अवकाश नकदीकरण स्वीकृत किया गया है।

महेश चन्द्र कौशिवा,
संयुक्त निबन्धक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/303–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।